THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1987 (TO AMEND ARTICLE 78.)

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill furher to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDTIES OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL, 1986-Contd.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The questton was put and the motion was adopted.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, I introduce the Bill.

THE DECLARATION AND PUBLICATION OF ASSETS AND LIABILITIES MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL, 1986. Contd.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैंने जो वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया है, वह इस आशा के साथ प्रस्तुत किया है कि इस में मुझे माननीय विपक्ष के सदस्यों का और सत्ता पक्ष के सदस्यों का और जो स्वतंत्र सदस्य हैं, सब का समर्थन प्राप्त होगा ।

मान्यवर, आज देश में जो राजनैतिक वृत्ति है, उसे बहुत ही संदेह और शक की दृष्टि से देखा जाता है, हालांकि मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि राजनैतिक लोग आम तौर से ईमानदार होते हैं । लेकिन केवल ईमानदार होना ही आज के जमाने में ठीक नहीं है, बल्कि जो आम जनता है, जो सदस्य है, जो साधारण जनता है उनमें भी इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे संसद के सदस्य हैं, राज्य सभा या लोक सभा के, या विधान सभा के या किसी पंचायत, या नगरपालिका या स्वायत्त संस्थाओं के सदस्य ईमानदार हैं ।

इसलिए, मान्यवर, जो मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसका नाम--

The Declaration and Publication of Assets and Liabilities of Ministers and Members of Parliament Bill, 1986

जिसके लिए हिन्दी में कहा गया है "मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को आस्तियों और दायित्वों की घोषणा और प्रकाशन विधेयक इसमें इस बात की चर्चा है कि --

A bill to provide for the declaration and publication of assets and liabilities of Ministers and Members of Parliament and their family members and for matters connected therewih.

मान्यवर, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय जोकि सदन में 21 दिसम्बर, 1986 को पेश किया गया था, उसके उद्देश्य और कारणों में मैंने इस बात की चर्चा की है कि --

"For a healthy democracy clean and honest public life is a must. The representatives of the people should be above suspicion. It is at the level of Ministers including the Prime Minister and Members of Parliament that corruption has to be first stamped out lock, stock and barrel. It must appear that the Ministers and Members are functioning honestly and that they have not misused their positions. It is, therefore, proposed to make it mandatory for every Minister and Member of Parliament to furnish a statement of his assets and liabilities and that of his family members from time to time to the respective Presiding Officers who will cause the same to be published in the Official Gazette and laid on the Table of the House.

मान्यवर, हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय इस देश की आजादी की लड़ाई को राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी के नेतृत्व में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा था और उसी के फलस्वरूप इस देश को आजादी हासिल हुई है, 15 अगस्त, 1947 को और 26 जनवरी, 1950 को हमारा देश गणतंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के परिश्रम और उनके परिश्रम और उनके त्याग और बलिदान का ही यह फल है कि आज इस देश में राज्य सभा चल रही है और लोक सभा चल रही है और इस देश में अन्य विधान सभायें या अन्य विधान मंडल चल रहे हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बराबर यह विचार था और वह बराबर इस बात का प्रचार भी किया करते थे कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं, उनका अपना व्यक्तिगत आचरण, चाहे उनका व्यक्तिगत आचरण सार्वजनिक जीवन का था उनके प्राईवेट जीवन का दोनों बिलकुल शुद्ध होने चाहियें । और उसमें तनिक भी शक और शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए । यह बात महात्मा गांधी इसलिए कहा करते थे कि जो लोग राजनीतिक जीवन में रहते हैं उनसे सारा देश या इस देश की जनता इस बात की आकांक्षा करती है कि वे ईमानदारी से राज करेंगे और ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में रहेंगे क्योंकि उनके मन में अभिलाषा होती है कि अपने नगर का अपने मोहल्ले का देश के स्तर पर नेतृत्व प्रदान करें । लेकिन जो लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं अगर उनके बारे में कोई चर्चा हो जाये कि यह व्यक्ति संदेह के घेरे में है या व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि इसने बेईमानी की है तो माननीय जो हमारा लोकतंत्र है या जनतंत्र है वह सुदृढ़ नहीं रहेगा । माननीय जार्ज बर्नार्ड शॉ ने भी राजनीतिज्ञों के बारे में कहा था :

"One should not only be honest but he must make the people to know that he is honest."

लोगों में इस बात का विश्वास होना चाहिए, लोगों के मन में यह बात बैठ जाना चाहिए कि जो राजनीतिक लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं वे ईमानदार हैं नहीं हैं बल्कि उनके बारे में कोई भी संदेह या संशय लोगों के मन में नहीं है । माननीय जब हमारे देश ने आजादी प्राप्त की उससे पहले भी सरकारें थीं 1937 में भी सरकार थी जिसमें कांग्रेस की भागीदारी थी मुस्लिम लोग भी थे । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी दिल्ली में जो तीस जनवरी मार्ग पर बिरला भवन है वहां पर प्रार्थना सभा संबोधित किया करते थे । 21 दिसम्बर 1947 को नित्य की प्रार्थना सभा में मालूम है कि महात्मा गांधी को कहना पड़ा कि मैं विश्वसनीय सूत्रों से सुनता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है । माननीय 1960 में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया । उस समय श्री नालम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और सभी लोग जानते हैं कि श्री नालम संजीव रेड्डी केन्द्रीय मंत्री भी थे आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी थे बाद में इस देश की लोक सभा के अध्यक्ष भी हुए और अंतिम रूप से वह इस देश के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर भी बैठे और राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया । माननीय 1960 में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से श्री नालम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव का शीर्षक था :

the annual statement of income and assets

और प्रस्ताव यह था :

"The Working Committee authorises the Congress President to require the Congress Ministers of Central and State Government and Songress Member of Parliament and State Legislatures to submit to him (that is the Congress President) annual statements of their assets and income and expenditure."

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

इस बात का प्रस्ताव मान्यवर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है वे अपना दायित्व अपनी आय का लेखा-जोखा और जो खर्च है उसके सिलसिले में प्रतिवर्ष एक विवरण राष्ट्रपति के पास या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया करें लेकिन मान्यवर यह सार्वजनिक रूप में होना चाहिए था इस संबंध में एक विधेयक संसद के द्वारा पारित कराया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के पास जब संस्थानम् कमेटी बैठाई तो उसने कुछ संस्तुति की तो इस तरीके का प्रावधान भी है कि जो मंत्री हैं वे इस संबंध में आमदनी का सारा विवरण अपने मुख्य मंत्री के पास प्रस्तुत किया करते हैं लेकिन फिर भी इस संबंध में कोई कानून नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया और यहां तक बढ़ा कि बार-बार भ्रष्टाचार की बात इस देश की इस संसद् में जनता ने उठाई तो मृतक प्रधान मंत्री बराबर इस बात को कहती रहीं कि यह भ्रष्टाचार से क्या होता है

corruption is worldwide phenomenon

सारी दुनिया में भ्रष्टाचार है अगर भारत में भ्रष्टाचार है तो इससे क्या होता है।

मान्यवर जहां तक मुझे याद पड़ता है सन् 1963 में उस वक्त कांग्रेस पार्टी के श्री संजीव जी थे या कामराज नाडार थे 20 दिसम्बर 1963 को मान्यवर जो कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस के सेशन में ही एक वक्तव्य दिया उसका मैं उद्धरण करना चाहूंगा। उनका कहना था :

"Since Congress came to power after the freedom struggle was over, paupers have become millionaires. There are Ministers who owned not even a cycle when they took office. But today they have a fleet of cars and limousines, that is large and luxurious cars"

तो मान्यवर, इस तरह के का जो कांग्रेस प्रेसीडेंट ने अपना वक्तव्य दिया, यह आम तौर पर हरेक के ऊपर आक्षेप हुआ। मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि राजनैतिक जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, जो कि सत्ता पार्टी में होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो विपक्ष-पार्टी में होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं, जो किसी भी दल में नहीं होते। लेकिन आम तौर से जब इस बात की चर्चा की जाती है तो आम जनता यह समझती है कि सारे राजनीतिक लोग जो हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, और यह बेईमानी करते हैं, अवैध स्रोतों से यह रुपया इकट्ठा करते हैं। इस बात की चर्चा भी आज सारे देश में चल रही है, बोफोर्स काण्ड की चर्चा हो रही है जगह-जगह और मजबूर होकर के प्रधान मंत्री जी को लोक सभा में वक्तव्य देना पड़ा कि मेरे बारे में लोग शक कर रहे हैं; मेरे बारे में लोग संदेश कर रहे हैं और मेरे या मेरे परिवार के लोगों ने कोई भी पैसा कमीशन के रूप में नहीं लिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है, इसको निश्चित रूप से सरकार को मानना चाहिए।

इसके बाद मान्यवर, मैं जैसा निवेदन कर रहा था कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी लोक सभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया है प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट, राज्य सभा में आया नहीं है, लगता है कि अगले सत्र में पारित होगा। लेकिन यह संथानम कमेटी जो बनी थी, जब लाल बहादुर शास्त्री जी गृह मंत्री थे तो के० एस० संथानम, जो कि मध्य प्रदेश के विंध्या प्रदेश के थे, लोक सभा सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में संथानम कमेटी बनाई थी। जब लोक सभा में इस बारे में चर्चा हुई और राजनीतिकों पर कुछ आरोप लगाये गए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने श्री संथानम समिति बनाने के सिलसिले में गृह मंत्रालय की अनुमति मांगे पर जब चर्चा हो रही थी जून 1962 में उन्होंने गृह मंत्री के रूप में उस चर्चा में हस्तक्षेप किया।

मान्यवर, उस दिन चर्चा करते हुए लाल बहादुर जी ने कहा चूंकि भ्रष्टाचार के बारे में बहुत चर्चा की है और इस बात की भी शिकायत आई कि कुछ राजनीतिक लोग अवैध रूप से अपार सपत्ति अर्जित कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि श्री के० एस० संथानम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाय, जिसमें कुछ राजनीतिक लोग भी रहे, जिनमें कुछ सरकारी अधिकारी भी रहे और सबकी राय से आपस में विचार-विमर्श कर जो समिति संस्तुति करें, उसको सरकार लागू करे। उस समय श्री लाल बहादुर जी ने जो अपना भाषण दिया, उस में संथानम कमेटी की चर्चा की है --

In June 1962, during the debate on the Demands for the Ministry of Home Affairs many Members of Parliament referred to the growing menance of corruption in administration and public life. Replying to the debate, on 6th June 1962, the hon. Minister for Home Affairs. Shri Lal Bahadur Shastri, said,

"I feel that this matter should not be entirely left for consideration in the hands of the Officers. It is desirable that there should be exchange of views between them and public men of experience. Perhaps hon. Members might have read in the paper that I have suggested that a formal Committee should consider the important aspects of the evils of corruption. I therefore propose to request some Members of Parliament and if possible other public men to sit with our own officers in order to review the problem of corruption and make suggestion."

और मान्यवर, बहुत से विद्वान लोग, बहुत से अनुभवि प्रशासनिक लोग इस कमेटी के सदस्य थे, और इन लोगों ने जो सरकारी अधिकारी थे उनके बयान लिए और प्रश्नावली भी जारी की, जगह जगह जाकर ये लोग घूमें, नगरपालिका के जो अध्यक्ष थे, म्यूनिसिपिलटी के चैयरमैन थे, विधायकों के सब के बयान लिए गए मेम्बर आफ पार्लियामेंट के बयान लिए गए, दो केन्द्रीय मंत्रियों के बयान लिए गए और उसके बाद इन्होंने अपनी संस्तुति दी उस वक्त जो सन् 1962 में भ्रष्टाचार था और जो आज है, वह 25 साल पहले इस देश में भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट कमेटी ने दी थी और संस्तुति दी थी। जो विवरण दिया है रिपोर्ट में, उसको मैं उद्धरण करना चाहूंगा क्योंकि आज 25 साल में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और यह सर्वविदित है कि कालेधन को लोग अर्जित कर रहे हैं विदेशों में, स्विस बैंकों में लेकर रुपया जमा कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अवैध रूप से जो पैसा अर्जित करते हैं इस पर रोक लगनी चाहिए।

महोदय, सन 1962 में संथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 11.2 में जो कहा है, मैं उसको यहां उद्धृत करना चाहूंगा--

"There is a large consensus of opinion that the new tradition of integrity can be established only if the example is set by those who have the ultimate responsibiliy for the governance of India, namely, Ministers of the Central and State Governments. We are convinced that ensuring absolute integrity on the part of Ministers at the Centre and in the States is an indispensable condition for the establishment of the tradition of purity in public services."

"Next to the Ministers integrity of Members of Parliament and of Legislators in the States will be a great factor in creating a favourable social climate against corruption. We are aware that the vast majority of Members maintain the high standards of integrity expected of them. Still it has been talked about that some Members use their good offices to obtain permits, licences, ... "

महोदय, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो उस देश के पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा था कि यहां परमिट, कोटा और लाइसेंस राज है :

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

"Still it has been talked about that some Members use their good offices to obtain permits, licences and easier access to Ministers and officers for industrialists and businessmen."

इस मंशा से मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है कि यदि विधायक और सांसदों का आचरण शुद्ध हो और आम जनता की निगाह में जिनको हम वोट लेकर यहां पर बैठते हैं, हम शुद्ध हों तो हमारा लोकतंत्र इससे निश्चित रूप से मजबूत होगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी ।

श्रीमन्, अब इस विधेयक के जो प्रावधान हैं मैं उनकी चर्चा करूंगा । इस विधेयक के खंड 2 में जो परिभाषा की है मैंने उसमें फैमिली मेंबर में केवल पत्नी, पति या उनके बच्चों को ही नहीं रखा है वरन् जो मंत्री या संसद होते हैं उनके रिश्तेदार भी कोशिश करते हैं कि बिना मंत्री की जानकारी के वे भ्रष्टाचार करें, इसलिए उनको भी इसमें मैंने शामिल किया है जो कि मैंने 21 दिसंबर, 1986 को पेश किया था ।

2. (b) "family-member" in relation to a Minister or member means his or her—

(i) spouse (not being a judicially separated spouse);

(ii) minor children; and

(iii) any other person related to him or her, whether by blood or marriage and whether wholly dependent on him or her or not;

श्रीमन्, खंड 3ए में मैंने इस बात की व्याख्या करने का प्रयास किया है कि कोई भी मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य जिस दिन अपने पद को ग्रहण करे उसके तीन महीने के अंदर वह लोक सभा या राज्य सभा जिसका भी वह सदस्य है, उसके सभापति के सामने या अध्यक्ष के सामने या यदि कोई मंत्री है जो कि लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य नहीं है क्योंकि इस देश में कोई भी मंत्री जो इन दोनों का सदस्य न हो 6 मास तक मंत्री बना रह सकता है ऐसे मंत्री को लोक सभा के अध्यक्ष के सामने तीन महीने के अंदर अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए । इसके लिए जो फार्म होगा उसका आकार और विवरण भी मैंने इस विधेयक में लगा दिया है जिसे यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है । इसी तरीके से धारा 3 में इस बात की चर्चा की गई है कि यदि कोई मंत्री या सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाए तो तीन महीने के अंदर उसको सारा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि क्या उसकी हैसियत थी, क्या उसका कर्जा था और क्या उसकी संपत्ति थी । इसी तरीके से इस बात की व्याख्या इसमें है जब तक और भी मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य अपने-अपने पद पर रहें प्रतिवर्ष साल भर में एक बार 30 जून तक इस प्रकार का विवरण अपने प्रेजाइडिंग आफिसर के पास दें और धारा 6 में इस बात की मैंने व्यवस्था की है कि यह विवरण उनके पास पहुंच जायेगा तब जो सरकारी गजट है उसमें उनका विवरण प्रकाशित किया जाये । इससे क्या होगा कि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जायेगी । जो हमारे मतदाता हैं उन्हें भी जानकारी होगी । जो चरित्र हनन करते हैं उन की भी जानकारी हो जायेगी । स्वयं भी राजनीतिक इस बात की स्थिति में होंगे कि वह बता सकेंगे कि हमारी क्या हैसियत थी और आज हमारी क्या हैसियत है । अवैध रूप से कोई धन या सम्पत्ति हमने जमा नहीं की है । इस सम्बन्ध में सन् 1963 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य थे, हम भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे, श्री हरिविष्णु कामथ, यह आई०सी०एस० थे और मध्य प्रदेश के हाशंगाबाद चुनाव क्षेत्र से चुन कर आये थे। आई०सी०एस० की नौकरी को छोड़ कर सुभाष बाबू के तरीके से उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी और बड़े विद्वान सदस्य थे । जो हमारा संविधान बन रहा था उसमें भी उनका विद्वतापूर्ण भाषण हुआ था ।

संविधान बनाते समय उन्होंने इस प्रकार का विचार प्रकट किया था और 1963 में उन्होंने लोक सभा में इस प्रकार का विधेयक भी रखा था लेकिन वह केवल मंत्रियों के सम्बन्ध में था। उसका नाम था डिसक्लोजर आफ असेट्स बाई मिनिस्टर्स 1963 बिल। 3 मई, 63 को लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 4-5 दिन नान आफिशियल डे पर उस पर बहस हुई। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था। उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक भी साइकिल नहीं थी जब वह मैम्बर बन कर आये थे और जब मैम्बरशिप से रिटायर हुए तो करोड़ों रुपये की सम्पति लेकर गये, लम्बी-लम्बी गाड़ियां उनके पास हो गयीं। जब कामथ साहब ने इस बात को रखा था तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और जो कुछ भी सम्भव होगा वह कदम उठायेगी। लेकिन उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इस दिन में श्री सदाशिव बगाइतकर, सोशलिस्ट पार्टी ने भी 16 मार्च, 79 को इस प्रकार का विधेयक पेश किया था। जिसका नाम था: डिक्लेरेशन एण्ड पब्लिक स्क्रूटनी आफ असेट्स आफ मिनिस्टर्स एड एम०पी० बिल, 1981। कई दिन तक उस पर भी चर्चा हुई, बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इसमें हिस्सा लिया गया। दोनों पक्षों ने इसका स्वागत किया। लेकिन 5 मार्च, 1982 को वह अस्वीकार हुआ। अस्वीकृत करते समय जब मतदान हुआ तो उस दिन सत्ता पक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जायेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय, उसके बाद केंद्रीय सरकार में आज भी एक मंत्री हैं श्री राजेश पायलट, नौजवान सदस्य हैं, उन्होंने 1981 में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया था लोक सभा में। 4 सितम्बर, 1981 को यह विधेयक रखा गया। इसका नाम था: डिक्लेरेशन आफ असेट्स एंड लाईबिलिटीज बाई मैम्बर्स आफ लोक सभा एंड राज्य सभा। कई दिन तक इस पर भी बहस हुई। 6 मई, 83 को वाद विवाद के बाद राजेश पायलट ने अपने विधेयक को वापस ले लिया। जिस वक्त वापस लिया 6 मई, 83 को श्री निहार रंजन लस्कर जो शायद उस वक्त गृह मंत्री रहे होंगे, लोक सभा में आश्वासन दिया था और आश्वासन स्पष्ट था कि इस विधेयक के पीछे जो भावना है, जो मंशा है उससे हमारी सरकार सहमत है। निकट भविष्य में जरूर कोई न कोई कदम उठायेगी। 6 मई, 1983 का यह आश्वासन था:

"I would like to say that there can be no disagreement on the spirit of the Bill. The spirit behind the Bill is to ensure that Members of Parliament remain honest and do not misuse their power in any manner in order to obtain any personal gain either for themselves or their family members."

3.00 P.M.

"Naturally, the Government is in full agreement wih the spirity of the Bill which is before the House."

और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोक सभा के सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। 23 फरवरी, 1983 को श्री कमल नाथ ने लोक सभा के नियमों के अनुसार स्पेशल मेंशन के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया था। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री लश्कर का आश्वासन मैंने आपकी अनुमति से सदन के समक्ष रखा है। उस आश्वासन का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है। खुद मंत्री जी ने इस विधेयक का आश्वासन दिया था और यह कहा था कि उनकी सरकार इससे पूरी तरह से सहमत है और उन्होंने अपने भाषण में इस बात की भी चर्चा की थी कि निकट भविष्य में इस प्रकार का विधेयक लाया जाएगा। लेकिन बहुत दुःख होता है कि बार-बार जब से हमारा देश आजाद हुआ है, इस प्रकार के आश्वासन दिये जाते रहे हैं, लोक सभा में भी और राज्य सभा में भी, सदन के बाहर भी और सदन के अन्दर भी, लेकिन उन आश्वासनों की पूर्ति

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

नहीं की गई है। आज एक ऐसा वक्त आ गया है जब हमारे राजनीतिज्ञों की छवि धूमिल होती जा रही है। ऐसी स्थिति मे छवि को साफ, उज्जवल और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार को अगले सत्र में इस प्रकार का विधेयक अवश्य लाना चाहिए। मेरा जो विधेयक है उसको देखकर आप उसका परीक्षण करा लें। उसमें अगर कोई खामियां, त्रुटियां आदि हैं तो उनको आप पूरा करा के इसी प्रकार का विधेयक ला सकते हैं। आज क्या हो रहा है। इस बात की चर्चा होती है कि अरबों-अरबों रुपया भारतीयों का जो उन्होंने भारत में रह कर कमाया है, उसको उन्होंने विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या दूसरे नागरिक हों, उन्होंने यह रुपया भारत में रहकर कमाया है, चाहे अवैध ढंग से ही कमाया हो। वे अवैध ढंग से किस तरीके से इस पैसे को पैदा करते हैं, इस समय उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यह रुपया वे विदेशों में जमा करके इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं, वेल्थ टैक्स की चोरी करते हैं और इस देश के पैसे को विदेशों में जमा करते हैं। इसी सदन में इस विषय पर बहस हो चुकी है। एक रिपोर्ट है—रिपोर्ट आफ ए स्टेडी बाई दी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्सेस एण्ड पालिसी बाई आर०जे० चेलिया। इसमें चेलिया साहब ने इस बात की चर्चा की है कि किस तरीके स रुपया आज इस देश में इकट्ठा होता है, उसके क्या-क्या स्रोत हैं। इसी की चर्चा करते हुए किकबैक का भी जिक्र आता है। बोफर्स के मामले में और फेयर फेक्स के मामले में जब किकबैक की चर्चा आई तो मैंने इसकी परिभाषा जानने की कोशिश की। पता चला कि जो सरकारी खरीद होती है या जो राशि दलाली में ली जाती है उसको किकबैक कहते हैं। 1985 की रिपोर्ट पर जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वित्त मंत्री थे तो इसकी चर्चा हुई थी। इसके पृष्ठ 28 का उद्धरण मैं देना चाहता हूं। किस प्रकार से राजनीतिज्ञ लोग जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, किकबैक की रकम इकट्ठा करते हैं। वे करोड़ों और अरबों रुपया जो सरकारी खरीद होती है उससे इकट्ठा करते हैं। मैं इसका उद्धरण देना चाहता हूं—

It is written on page 28:

"So the scope for making black incomes through kickbacks, cuts and commissions on government projects, programmes and purchases is today far greater. Furthermore, there are strong indications that political involvement in such transactions has grown enormously."

यह राजनीतिज्ञों या राजनैतिक लोगों — की भागीदारी के संबंध में है—

"In earlier years the need for political finance was largely met through discretionary control over licences and permits."

इसकी चर्चा संथानम् कमेटी ने भी की है—

"with contributions made by private industrialists and traders either as direct *quid pro quos* or in exchange for explicit or implicit assurances of generally easy access to licenses and permits."

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज का जो वातावरण है उसमें इस देश के प्रधान मंत्री भी संदेह के घेरे में आ गये हैं।

"Today we are told a great deal of political finance is raised from purchases, sales and contracts awarded by different levels of Government and public sector agencies with orders placed abroad being particularly lucrative propositions."

तो मान्यवर, इसकी चर्चा राजा चैलेया ने 1985 में जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई थी उसमें किया था और उसमें मान्यवर, उन्होंने चर्चा करते करते

इस बात का भी जिक्र किया था कि किस तरह से लाइसेंस और परमिट में अवैध रूप से धन इकट्ठा किया जाता है। उसका कारण क्या है और कारण में उन्होंने दो मुख्य बातें गिनाई। एक तो उन्होंने यह कहा कि

"Grant of licences and permits in return for bribes or political contributions."

फिर दूसरा उन्होंने जो कारण बताया वह यह है कि

"Contributions to political authorities at various levels, ostensibly to finance elections and post-election manipulations."

मान्यवर, इसमें इस बात की चर्चा की गई है। मैं इसके जरिये से निवेदन करना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब सरकार को इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए।

मान्यवर, इसी तरीके से जस्टिस वांचू कमेटी बनी थी। जस्टिस वांचू पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हुए और यहां से चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए। 1971 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें मान्यवर, उन्होंने कालेधन की चर्चा की है और कालेधन की व्याख्या भी की है। कालेधन के बारे में उन्होंने कहा कि यह करोड़ों रुपया होता है, जो अवैध ढंग से इकट्ठा किया जाता है, इनकम टैक्स की चोरी करके या इसी तरीके से लाइसेंस दिलवाने के सिलसिले में या परमिट दिलवाने के सिलसिले में दिया जाता है और इस रुपये को छिपाकर रखते हैं। यह वही रुपया है, जो मान्यवर, विदेशों में जा रहा है। राजा चैलैया ने 1985 में, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके आंकड़ों के ाब से—जब कि हमारे हिसाब से, रुपया इससे कहीं अधिक है— 84–85 में 37 हजार करोड़ रुपया लेकर 40 हजार करोड़ रुपया रत में यह काला धन था। मान्यवर, समें उन्होंने यह भी चर्चा की थी के ये कालेधन वाले जो लोग हैं, ये अपनी समानान्तर सरकार चलाते हैं, सामानान्तर व्यवस्था चलाते है। जो तस्कर लोग हैं, यदि उनको आप गिरफ्तार करेंगे तो अदालत से उनकी जमानत हो जायेगी। कितना भी सख्त से सख्त कानून बना लीजिये, लेकिन जो पुलिस का तरीका है, जो प्रोसीक्यूटिंग इन्सपैक्टर है, वह चार्ज-शीट बनाने में कोई खामी कर देगा। यहां तक हुआ है कि आर्थिक अपराध हुआ और उस संबंध में एक बहुत बड़े उद्योग-पति को गिरफ्तार किया गया। मैंने भी बीस साल तक वकालत की है लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज आधी रात को छुट्टी के दिन अपने घर पर जमानत ले ले। लेकिन वह चूंकि उद्योग-पति था, बड़ा आदमी था मैं नहीं जानता कि किन परिस्थितियों में उनकी जमानत हुई, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि छुट्टी के दिन, इतवार के दिन, आधी रात को उस उद्योगपति की जमानत सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने घर में ली। राजनैतिक लोग पकड़े जायेंगे, हमारे जैसे लोग पकड़े जायेंगे तो हम जमानत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उद्योगपति की जमानत सुप्रीम कोर्ट का जज छुट्टी के दिन आधी रात को अपने घर में लेता है तो इससे निश्चित रूप से मन में शंका होती है। इसीलिये जस्टिस वांचू ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की व्याख्या करने की कोशिश की थी कि काला धन क्या होता है, वह किस तरह से अर्जित होता है, इससे किस प्रकार से जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत है उनका हनन होता है, उनकी हत्या होती है। मान्यवर, ज्यादा विचरण में जाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस वांचू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि :

"Over the years, the parallel economy has grown in size and dimensions. Almost every sign of distress and human misery would appear to have been manipulated by anti-social elements to boost the parallel economy".

बिहार की चर्चा आ रही है। बिहार आज बाढ़ ग्रसित है। लेकिन वहां की चर्चा क्यों आ रही है क्योंकि वहां जो

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

बडे बड़े तटबंध हैं, जो बांध बांधते हैं, उसमें वहां के इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदार तथा ये जो भ्रष्ट राजनैतिज्ञ हैं, उनकी मिली भगत से, उनकी साजिश से कमजोर बांध बंधते हैं, कमजोर तटबंध बनते हैं और यहां तक कि उनको तोड़ भी देते हैं।

बिहार का काफी हिस्सा जो बाढ़ से ग्रसित है और वहां के जो गरीब लोग हैं उनको भूखा रहना पड़ता है, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, वे बेचारे बाढ़ से त्रस्त हैं। सारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है इस पर जो संकट है इस पर जस्टिस वांचू ने आगे कहा है—

This shatters the faith of the common man in the dignity of honest labour and virtuous living. It is ,therefore, no exaggeration to say that black money is like a cancerous growth in the country's economy, which, if not set right in time, is sure to lead to its ruination.

तो मान्यवर, इस तरह की चाहे संथानम रहे हो, चाहे जस्टिस वांचू रहे हों या बी० के० नेहरू, जो जम्मू काश्मीर के गवर्नर थे उनकी भी रिपोर्ट इस प्रकार की है। क्यों नहीं सरकार सख्ती से इस मामले में कदम उठाती ताकि जो भ्रष्टाचार का कैंसर है इस देश से समाप्त हो। अभी परसों ही सदन में स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के सम्बन्ध में बहस हो रही थी। माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्वतन्त्रता सेनानी जिन बेचारों ने अपनी सारी जिन्दगी का बलिदान कर दिया सारी सुविधाएं अंग्रेजों के जमाने में बलिदान कर दी, त्याग किया उन में से जो थोड़े से लोग बचे हैं उन स्वतन्त्रता सेनानियों को सरकारी भ्रष्टाचार के कारण पेंशन नहीं मिलती है। भले ही मंत्री जी की नियत साफ है मंत्री जी भी चाहते हैं लेकिन भ्रष्ट सरकारी अधिकारी उसको होने नहीं देते। चर्चा की गई कि स्वतंत्रता सेनानी बसावन सिन्हा जिनको सारा देश जानता है, श्री शील भद्र याजी, वह भी इत्तेफ़ाक से बिहार के हैं। वह भी स्वतन्त्रता सेनानियों के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को भी सरकारी अधिकारी नहीं मानते। तो आखिर कब इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा? खत्म तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन कम तो करने की कोशिश की जा सकती है। श्री गूलजारी लाल नन्दा गृह मंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ लेकिन वे चले गये। इसलिए मुझे सरकार की नीयत पर शक हो रहा है और यह इसलिए हो रहा है कि तमाम देश की जनता की मांग जन-प्रतिनिधियों की मांग के बावजूद सत्ता पक्ष के सदस्यों की मांग के बावजूद सरकार इस विषय पर विधेयक क्यों नहीं लाई। कितना रुपया विदेशों में है इसके आंकड़े भी मेरे पास है। यह मेरे पास एक पाक्षिक पत्रिका 'योजना' है केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होती है और भारत सरकार प्रेस में मुद्रित होती है, छापी जाती है। यह कोई आवश्यक नहीं कि इस में जितनी भी चीजें हैं, वह सरकार की बात हो, लेकिन फिर भी 'काले धन की काल कोठरी—विदेशी बैंक' के ऊपर एक लेख है। यह पत्रिका 16 मार्च से 31 मार्च 1987 तक की है और काफी आंकड़ों के साथ विद्वान लेखक ने इस बात की चर्चा की है कि किस तरीके से भारत देश के उद्योगपति, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और भ्रष्ट राजनीतिक लोग आपस में सांठगांठ कर के इस देश की जनता का पैसा लूट रहे हैं और विदेशों में इस प्रकार से अवैध धन इकट्ठा कर रहे हैं। विदेशी बैंकों में भारतीय धन के बारे में अभी गढवी साहब का पिछले सप्ताह इस सदन में या लोक सभा में स्वीकार करना पड़ा कि 19 भारतीयों के खाते पकड़े गये हैं यह कौन हैं मैं नहीं जानता हूं लेकिन भारतीय हैं। विदेशी बैंकों में भारतीय धन स्विटजरलैंड के खातों में नम्बर दो का कुल कितना धन जमा है उसका केवल एक प्रतिशत भारतीय नागरिकों का है। यह राशि 20–25 हजार करोड़ रुपये के बीच में केवल स्विटजरलैंड में है। इसके अतिरिक्त इक्वेडोर में, हांगकांग में, न्यू जरसी में,

मारीशस और बाहमास के बैंकों में भी भारतीयों के करीब करीब 10 हजार करोड़ रुपये स अधिक जमा हैं । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि स्विस बकों में भारतीयों के 1332 करोड़ रुपये जमा हैं । दरअसल यह राशि तो वह है जिसकी पहचान हो गयी है लेकिन वास्तविक राशि इससे कई गुना अधिक है । 14 नवम्बर, 1986 को भारतीय धन के विदेश पलायन पर तत्कालीन विदेश मंत्री, यानी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने लोक सभा में बयान देते हुए इन अमीर भारतीयों को राष्ट्र विरोधी कहा और विदेशी मुद्रा नियमन कानून "फेरा" को उदार बनाने के लिए कदम उठाये गये । मुद्रा कोष ने अपने अध्ययन मे आगे कहा है कि भारत से धन और पूंजी की स्विस बैंकों में पलायन की रफ्तार बहुत तेज है और एक एक खेप में सैंकड़ों करोड़ रुपया देश से बाहर जा रहा है। मुद्रा कोष की रिपोर्ट से आरोप पुष्ट होता है । गत एक वर्ष के दौरान 400 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे गये । खबर है कि पिछले दिनों भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में धन जमा कराने में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी तेजी आई है । जिस देश में करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, वहां 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये विदेशी बैंकों में जमा कराने वाले लोग निश्चित रूप से देशद्रोही हैं । वित्त मंत्री के अतिरिक्त मुद्रा कोष ने भी कहा है कि बेईमान भारतीय व्यापारी विदेशी खरीददार या विक्रेता की सांठ गांठ से जैसा बोफोरस कांड के सिलसिले में चर्चित है--फर्जी बीजक बनाकर अपने देश को धोखा देते हैं । इस प्रकार सौदों के फर्जी कागजात तैयार करके भारी मात्रा में अर्जित धन विदेशी बैंकों में जमा करा दिया जाता है। ऐसे मामलों में कई प्रमुख लोगों की सांठ गांठ होती है । पिछले वर्षों के दौरान विदेशों में धन जमा करने का एक प्रमुख रास्ता रहा है, फर्जी बीजक तैयार करना अर्थात् बीजक के सौदे की असल रकम से ज्यादा या कम बताना । देश के धन को बाहर भेजने का दूसरा रास्ता है हीरे बनाकर बाहर भेजना ।

यह मान्यवर बहुत ही शर्म और दुख का विषय है कि भारत की विदेश में ऐसी चर्चा हो और आज राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं अन्तर्राष्ट्रय स्तर पर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत में जो सत्ताधारी लोग हैं या भारत में जो राजनीतिक लोग हैं ये भ्रष्ट तरीके से रुपया इकट्ठा करते हैं । इसी प्रकार से 15 अगस्त का "योजना" इश्यू है अंग्रेजी का मद्रास के एक बहुत विद्वान लेखक हैं उनका नाम है डा० मैल्कम एस० आदिशेषया ।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर) : हमारे मेम्बर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : राज्य सभा के सदस्य भी थे, मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन भी है और जैसा कि गुलाम रसूल मट्टू साहब ने जानकारी दी कि ये राज्य सभा के सदस्य भी थे । इत्तिफाक से यह लेटेस्ट है इसमें भी उन्होंने ब्लैक मनी एण्ड करप्शन की चर्चा की है, पृष्ठ 15 पर "योजना" अगस्त स्पेशल, 1987 :

This is from YOJNA dated 15th August, page 15:

"BLACK MONEY AND CORRUPTION

A second serious drawback has been that even as the economy has grown, the underground economy, consisting of incomes and wealth generated by tax evasion, smuggling and all manner of illegal dealings, has grown even faster. An officially sponsored study on the volume of black money in the country places its value at over one third of the Gross Domestic Product. I myself place it at nealy 40 per cent. One effect of the black money is that it reduces the effectiveness and distorts the aims of the Plan and targets of the regular economy. The most deleterious feature of the black economy, however, is the growing corruption in society. Every transaction big or small involves the passing of money un-

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

der the table. This cancer of corruption has reached such proportions that few in the economy seem able to escape it or its outreach. The last manifestation of this is the report of the International Monetary Fund that over Rs. 1800 crores, per annum are slashed away illegally in secret accounts in one country, Swizerland by Indian nations."

मान्यवर मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इस प्रकार का विधेयक इस देश में होता और इस प्रकार की आवश्यकता होती इस देश के सांसदों और विधायकों के लिए और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का विधेयक है विधान सभा के सदस्यों के लिए । अगर इस प्रकार का विधेयक होता तो चाहे सांसद हों या प्रधान मंत्री हों या मंत्री हों, वह आज कम से कम इस देश की जनता के सामने संदेह के घेरे में नहीं होते । लेकिन मैंने शुरू में ही आक्षेप किया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है । लोकपाल विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया गत वर्ष, पर लोकपाल विधेयक में प्रधान मंत्री को उसकी परिधि से हटा दिया गया । तो प्रधान मंत्री कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं होते, कोई भी व्यक्ति हो प्रधान मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो देश का प्रधान मंत्री है, उसको भी लोकपाल की परिधि में रखना चाहिए । लेकिन सरकार जो लोकपाल विधेयक लाई उसमें मंत्रियों को रखा और लोगों को भी रखा, शायद बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों को भी रखा, लेकिन लोकपाल विधेयक की परिधि से प्रधान मंत्री को बाहर कर दिया ।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री हैं श्री राम कृष्ण हेगडे, वहां भी लोकपाल विधेयक पारित किया गया, लेकिन कर्नाटक के मुख्य मंत्री, जनता पार्टी के—लोकपाल विधेयक जब लाया गया, तो उसमें जहां उन्होंने मंत्रियों को रखा, मुख्य मंत्री को भी रखा, लेकिन यहां पर लोकपाल विधेयक से... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is now before the Joint Select Committee.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं तो मंशा पर जा रहा हूं । ज्वांइट सिलेक्ट कमेटी में इसी से गया है कि प्रधान मंत्री को लाया जाये या न लाया जाए क्योंकि बहुत से विरोधी पक्ष के सदस्य जिनमें मैं भी सम्मिलित था, हम लोगों ने यहां पर संशोधन पेश किया कि लोकपाल विधेयक की परिधि में प्रधान मंत्री को भी रखा जाए क्योंकि प्रधान मंत्री कानून से ऊपर तो हैं नहीं, तो तब वह गया संयुक्त प्रवर समिति में ।

तो मैं निवेदन कर रहा था सरकार की मंशा की ओर कि सरकार की मंशा इस मामले में साफ नहीं है, सरकार इस देश में जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, उनके काले कारनामों को छिपाना चाहती है, सरकार इस देश में जो भ्रष्ट मंत्री हैं, उनके काले कारनामों को छिपाना चाहती है और इसलिए सरकार ने इस सिलसिले में आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए]

तो, मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इस किस्म का विधेयक होता इस देश में और इस तरीके का कानून होता, तो 8 अगस्त को इस देश की लोक सभा में खड़े होकर प्रधान मंत्री को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना पड़ता कि हमारे परिवार के लोगों ने कमीशन के रूप में बोफोर्ज के मामले में कोई रकम नहीं पाई है, क्योंकि अगर विधेयक होता, तो प्रधान मंत्री जो अपने असेट्स और लायबिल्टीज का डेकलेरेशन भरते होते, तो उसको प्रस्तुत कर देते ।

यही कारण है कि आज देश के राजनीतिज्ञों को शक-शुबह की दृष्टि देखा जाता है और इसलिए बिना किसी के ऊपर लांछन लगाए हुए, बिना किसी के ऊपर आरोप लगाए हुए, बहुत ही साफ दृष्टि से, बहुत ही साफ नीयत से मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, इस

आशा और विश्वास के साथ कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई में जो पवित्र सिद्धांत थे, जिन आदर्शों को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और अन्य बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा, उनको पूरा करने के लिए हमको आज संकल्प लेना चाहिए और कम से कम दो-चार राजनीतिज्ञ तो भ्रष्ट होते ही हैं, लेकिन उनकी भ्रष्टता के कारण तमाम राजनीतिज्ञों को लोग भ्रष्ट निगाह से देखते हैं, जैसे सारे राजनीतिज्ञ बेईमान हो गये हैं । रेलगाड़ी में आप चले जाइये, बस में चले जाइये, किस प्रकार की चर्चा होती है ।

तो मेरा पूरा विश्वास है कि यदि इस प्रकार का विधेयक सरकार पहले लाई होती, जिस प्रकार का आश्वासन दिया है, तो कम से कम इस देश का जो सार्वजनिक जीवन है, वह साफ होता, शुद्ध होता और राजनीतिक लोगों का जो आचरण है, वह भी शुद्ध होता और अंत में मैं पुनः इस बात की उम्मीद करता हूं कि जो सदस्य इसमें भाग लेंगे, वह हमारे इस विधेयक का समर्थन करेंगे और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालेंगे और मैंने शुरू में भी निवेदन किया कि माननीय राज्य मंत्री, श्री चिंतामणि पाणिग्रही जी की नीयत बहुत साफ है, बहुत दिनों से यह राजनीति में रहे हैं, लेकिन बहुत ही उच्च श्रेणी के राजनीतिज्ञ हैं, निहायत ईमानदार हैं और जब इस प्रकार के ईमानदार राजनीतिज्ञ के हाथ में आज राज्य गृह मंत्रालय है और जो इस विधेयक के बारे में उनको सुनने का मौका मिल रहा है, तो कम से कम जिस तरीके से यहां नीहार रंजन सरकार ने 1983 में आश्वासन दिया था, उस आश्वासन की पूर्ति आज तक नहीं हुई है ।

तो मैं पाणिग्रही जी से जो मंत्री होने के अतिरिक्त लोक सभा के सदस्य भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्वयं सरकार पर दबाव डालें कि इस प्रकार का विधेयक जल्दी ही इस सदन में पारित हो । जब किसी को गिरफ्तार करना होता है, राजनीतिक लोगों को, तो रात भर में आ जाता है अध्यादेश हिंदुस्तान के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंदर कर देते हैं । सुबह उठे हम लोग पता लगा कि नैनी जेल में हैं बेबी साहब गए हुए किसी जेल में रेड्डी साहब किसी जेल में तो जब अध्यादेश आप लाते हैं राजनीतिज्ञों को पकड़ने के लिए, जेल भेजने के लिए, उनको डिटेन करने के लिए तो कम से कम इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मंशा थी, इच्छा थी, आकांक्षा थी उसके अनुरूप काम करने के लिए मुझे पूरी आशा है कि इस प्रकार का विधेयक श्री पाणिग्रही के संरक्षण में अवश्य प्रस्तुत होगा और मेरे ही विधेयक को स्वीकार कर लें तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस आशा के साथ बैठता हूं कि जो माननीय सदस्य इसमें भाग लेंगे, मेरे विधेयक का समर्थन करेंगे, और उनके समर्थन के फलस्वरूप मेरे इस विधेयक को स्वीकार किया जाएगा । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) श्री रामेश्वर ठाकुर ।

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों तथा संसद सदस्यों की आस्तियों और दायित्वों की घोषणा और प्रकाशन विधेयक, 1986 के संबंध में जो बातें अभी हमारे माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत की हैं उन्हें मैंने गौर से सुना है । इस विधेयक के संबंध में जो उद्देश्य लिखे गए हैं स्वस्थ लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए लोकजीवन की शुद्धता तथा ईमानदारी अनिवार्य है, जनता के प्रतिनिधियों को संदेह से परे होना चाहिए इत्यादि । इसमें कोई शक नहीं है उद्देश्य जिस रूप में लिखा गया है यह सराहनीय है । सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं चाहे संसद हैं अथवा मंत्री हैं या राज्यों में विधायक हैं यह उनके लिए आवश्यक है कि उनका सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हो और उनके

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

कार्य, उनके व्यवहार इस प्रकार के हों जो आम जनता में विश्वास योग्य हों और उन्हें किसी प्रकार से दूसरे लोग उंगली नहीं दिखाएं । हम और आप सभी जानते हैं, इसका उल्लेख भी किया गया कि महात्मा गांधी और दूसरे वरिष्ट राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में इस देश में जो आजादी प्राप्त की गई उस आजादी की लड़ाई के समय लाखों और हजारों लोग उसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने बड़ी-बड़ी कुरबानियां कीं, बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर लोग थे जिन्होंने उनका परित्याग किया, विदेशी वस्त्रों का परित्याग किया, बहुत से लोग जिन्होंने जुर्माने भरे, बहुतों के मकान गिरवी हुए, जमीनें बेची गई और दूसरी तरह की अनेकों यातनाएं दी गई, उन विषम परिस्थितियों में भी जिन महान आदर्शों को महात्मा गांधी ने हमारे सामने रखा सत्य और अहिंसा के आदर्श उसे हम और आप सभी जानते हैं और उसके आधार पर यह विश्व के इतिहास में सब से बड़ी घटना है कि सत्य और अहिंसा के आधार पर और सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने इतने बड़े सशक्त विदेशी शासक को बाध्य किया कि वह यहां से चले गए और देश को आजादी मिली । उस सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, जिसमें सम्मिलित होने का एक विद्यार्थी के रूप में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त था, मैं जानता हूं देश में ऐसे अभी भी बहुत से लोग बचे हुए हैं जो विभिन्न राज्यों में या इसी संसद में काम कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में वे उन मान्यताओं को अपने जीवन में मानते हैं और अधिकांश लोग इसका आचरण भी करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि बिल में विधेयक में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं मेरी नजर में, कानूनी दृष्टि से भी मालूम होता है, व्यवहारिक दृष्टि से मालूम होता है,... । यह दृष्टि से मालूम होता है, उसका उल्लेख मैं करूंगा । लेकिन इसके पहले जो मूल मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला है उसके संबंध में मुझे दो शब्द कहने हैं । वह यह कि क्या हम केवल जिनकी जो स्थिति है उसका उल्लेख करके, उसे हम उसका प्रकाशन करके हम स्वच्छ जीवन बिता सकेंगे । यह हमारे लिए एक आधार हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात, बुनियादी बात है कि हम और आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो सार्वजनिक जीवन में लगे हुए हैं और भले ही साधारण कर्मी किसी भी राजनीतिक पार्टी के हैं, उनका सार्वजनिक जीवन महत्वपूर्ण हैं । सार्वजनिक जीवन स्वच्छ रखने का दायित्व सर्वप्रथम उनका है और उसका दायित्व उस पार्टी के ऊपर भी है, उसका दायित्व हमारे पूरे समाज पर है, हमारी पूरी व्यवस्था पर है । केवल हम संसद में या उससे बाहर स्वयं जो लोग सार्वजनिक जीवन में लगे हुए हैं, वे दूसरे लोगों के सार्वजनिक जीवन को आमतौर से कहें कि यह बिल्कुल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, मैं समझता हूं कि यह कोई जिम्मेवार लोगों का रास्ता नहीं है । मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में लगे हुए हैं, जैसा मैंने कहा, व्यक्तिगत रुप से अपने हृदय को टटोले, अपने जीवन को देखें, अपने कार्य को देखें, हम अपने व्यवहार को देखें और देखें कि हम क्या कर रहे है स्वयं । बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कारण हम जब किसी दूसरे पर आरोप डालें, कीचड़ उछालें तो हम समझते हैं कि हम सार्वजनिक जीवन को धूमिल कर रहे हैं । अभी जैसा हमारे मित्र, माननीय सदस्य ने कहा कि बस में भी लोग इसकी चर्चा करते हैं तो क्या उसके लिए हम जिम्मेदार नही हैं । हम यहां बैठकर स्वयं सांसद होकर दिन-रात इस की चर्चा करें, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते रहें और बिना प्रमाण के सब को भ्रष्ट कहते चलें, तो क्या यह अच्छी बात है ? व्यावहारिक दृष्टि से कानूनी दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से हमारा यह दायित्व और कर्त्तव्य है कि हम में से जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में लगे हुए

हैं, वह देखें कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं करते हैं जिससे हमारा सार्वजनिक जीवन धूमिल हो । उसमें यह बात भी सम्मिलित है, जिसको हम स्वयं स्वच्छ रखने की कोशिश करें । हम दूसरों की स्वच्छता और उनके स्वच्छ जीवन पर भ्रष्टाचार का आरोप तभी लगाएं, जब हमारे पास कोई प्रमाण हो । जब हमारे पास कोई सही प्रमाण हो, तभी हम बात करें ।

हम यह भी चाहेंगे, महोदय, कि यह हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था भी कि जो भी राजनीतिक जीवन के लोग हैं, उनका एक कोड आफ कण्डक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सार्वजनिक जीवन का हमारा होना चाहिए, एक संहिता । उस संहिता के आधार पर हमारे जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में लगे हुए हैं, उनका यह दायित्व और कर्त्तव्य है कि हम उस संहिता का अच्छी तरह से पालन करें । हम ऐसी शपथ लेते हैं, जिसमें हम पूरे जीवन में, जो मूल भावना है, उसकी शपथ लेते हैं । जब हम शपथ लेते हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि उसमें जो भाव सार्वजनिक जीवन के लिए अपेक्षित हैं, उसका हम आदर करते हैं, कटिबद्ध हैं कि हम उनका पालन करेंगे और अगर पालन में कोई कमी होती है, त्रुटि होती है तो हमारा कर्त्तव्य और दायित्व है कि हम स्वयं उसे पूरा करें । अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने सांसद मित्रों से, अपनी पार्टी के सदस्यों से और गैर पार्टी के लोग भी हैं, यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह सार्वजनिक सवाल है, से कहना चाहूंगा कि हम में से कोई भी चाहे इधर का हो या उधर का हो इस बात के लिए खुश होता है कि हम किसी की बड़ी तेजी के साथ आलोचना करते हैं तो हम नहीं समझते कि हम कोई जिम्मेदारी से उस काम को कर रहे हैं । मैं मानता हूं, हममें से कुछ लोगों में इस प्रकार की बुराई आई है, कुछ भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुए हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग भ्रष्ट हैं । मेरा कहना यह है कि यदि हमारा सार्वजनिक जीवन स्वस्थ हो तो उसके लिए हमारा कर्त्तव्य है कि इसे हम अपने कार्यों से शुरू करें और चाहे ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह साथी हो उसको राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए या उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वह उचित नहीं है । भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, वह तो सबके लिए गलत है । उसके विरुद्ध तो हम सब को लड़ना ही चाहिए, उसको तो विरोध होना ही चाहिए । हमारे सार्वजनिक जीवन का यह महत्वपूर्ण अंग है । लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि हम उसका प्रचार और प्रसार करते हैं तो वह उचित नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि हमारा समाज बहुत बड़ा है । हममें से जिन को मालूम है हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं इस सदन में और दूसरे सदन में जो स्वच्छ जीवन व्यतीत करते हैं । जैसे आपने अभी कहा हमारे मंत्री श्री पाणिग्रही जी के बारे में कि वह बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं, स्वच्छ जीवन बिताते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकांश सदस्य अच्छे हैं, स्वच्छ जीवन व्यतीत करने वाले हैं, जो बहुत कठिनाई से अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी साधन नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति बेचकर भी अपनी मर्यादा निभा रहे हैं । ऐसे सदस्य हैं जो सादा जीवन बिता रहे हैं, क्या उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना चाहिए ? यदि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं या गलत काम करते हैं तो उसके लिए सब को खराब कहना, सब को भ्रष्ट कहना, ऐसी धारणा लोगों में पैदा करना भी उचित नहीं है । ऐसी भ्रांति लोगों में पैदा करना जिम्मेदारी का काम नहीं है । हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है, हमारा यह दायित्व हो जाता है कि यदि कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसको सामने लाना चाहिए । जो ऐसा काम करता है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है तो उसकी छानबीन हम करें

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

और अगर वह ठीक पाया जाए, उसका आरोप सिद्ध हो जाए तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए ।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस हाउस में और हाउस के बाहर भी कहा है कि यदि कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी । मैं समझता हूं कि हमारी जो भी कानूनी व्यवस्था है वह नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उच्चतम न्यायालय तक है, उसमें किसी के लिए कोई भेद नहीं है । हमारा कानून ऐसा है जिसमें कोई भेद नहीं है । हमारी नीति में कोई भेद नहीं है । हमारे राजनीतिक जीवन में कोई भेद नहीं है । सवाल यह है कि हम किस तरह से उसे लागू करते हैं ? केवल शकी शुबहा पर हम किसी के विरोध में यहां पर कुछ कहें तो वह ठीक नहीं है । यह लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है । हमारे यहां विभिन्न पार्टियों का शासन है और यहां तक कि राजनीतिक परिवर्तन पहले भी आया है और हम जानते हैं कि हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना है । मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अधिकांश लोगों का सार्वजनिक जीवन स्वच्छ है, हमारे हरिजनों का, हमारे आदिवासियों का जीवन स्वच्छ है और यहां दिल्ली में आने के बाद भी हमारी व्यवस्था के अंदर उनको अनेक सुविधाएं मिली हैं, फिरभी यह कहना ही गलत है कि हमारे आमलोग भ्रष्ट हैं । यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं तो उनको आत्म निरीक्षण करना चाहिए और अपना जीवन बदलना चाहिए लेकिन संपूर्ण सार्वजनिक जीवन ही दूषित हो गया और इसकी जनरल रिपोर्ट हमारे विशेषज्ञों ने बताई, तो उनको पढ़कर हमें गुमराह लोगों को नहीं करना चाहिए कि 1981 से 86 तक जो रिपोर्टें आई उनमें आर्थिक व्यवस्था की बात है । उन रिपोर्टों की चर्चा संसदीय कमेटियों में गई । अतः उनको राजनीतिक जीवन के सांसदों के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा । असर पड़ता है उसका । यह महत्वपूर्ण सवाल है । काले धन का जो सवाल है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । इस पर बहुत चर्चा हुई । जो हमारी आर्थिक व्यवस्था में त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए । कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नजायज फायदा उठाते हैं उनके साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए । कड़ी से कड़ी सजा कानून में उनके लिए होनी चाहिए । इस सदन में और उस सदन में भी इस बारे में कानून पास हुआ है । विभिन्न वर्षों में आप देखेंगे कि इस पर प्रचलन भी हुआ है । लेकिन इसके बावजूद भी वह ऐसी बीमारी है कि जड़ों में घुसी हुई है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है देश की अर्थ व्यवस्था को । इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए । जो काले धन में लगे हुए हैं या इस तरह से विदेश से स्मगलिंग का काम करते हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए । लेकिन उसकी चर्चा अलग से ही सकती है । लेकिन जो आपने रखी है और हम यह कहें कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले सभी जन प्रतिनिधि इस प्रकार भ्रष्ट हो गये हैं यह ठीक नहीं है । दूसरे आपने प्रकाशन की बात कही । वह भी उचित नहीं है । सारे देश में जिनके पास अधिक पैसा है वह इन्कम टेक्स देता है और देना चाहिए । यह मान्यता है । जो नहीं देता है उन पर कार्रवाई भी की जाती है । यदि कोई ऐसा पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है ।

अब मैं इस विधेयक के कुछ पहलुओं पर कहना चाहूंगा । पहली बात यह है कि सम्पत्ति जो है उसका विवरण हम तैयार करें । सम्पत्ति के विवरण की जो व्याख्या की गयी है वह बहुत दोषपूर्ण है । इससे कुछ नहीं हो सकेगा । आपने जो व्याख्या की है सम्पत्ति की वह बहुत संकुचित है । लेकिन जो सम्पत्ति का कानून बना हुआ है उसमें बड़ी व्यापक व्याख्या है । जो व्याख्या आपने रखी है उस आधार पर सारी सम्पत्ति नहीं आयेगी ।

दूसरी बात आप यह कहते हैं— आनर्स मोर्टगेजर, लैसर, जैसी, अदर-वाइस। अदरवाइस का क्या मतलब है अदरवाइज कहने से, वेग रहने से कुछ नहीं होगा। जो सार्वजनिक जीवन में है, किसी ट्रस्ट का मैम्बर है उसमें उसकी निजी सम्पत्ति नहीं है। जो स्पेसिफिकली आपको बताना चाहिए किस, किस का। फिर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट इन एनी बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्रियल और कामर्शियल वेन्चर, यह भी दोषपूर्ण है। यह बहुत संकुचित है इससे कुछ नहीं होगा। इसमें आपने दूसरे प्रोफेशंस नहीं लिये हैं। इसमें आपको लेने चाहिए। आप स्वयं वकील हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल इसमें नहीं आया। इसलिए यह डिफेक्टिव हो गया।

दूसरे क्लाज में आप कह रहे हैं— एनी सम आफ मनी, इन एक्सैस आफ फाइव थाउजेंड रुपीज केप्ट इन कैश और एनी अदर फोर्म। इन-कैश कहना काफी नहीं है। अदर फार्म जो नीचे कहा है वह भी बहुत संकुचित है। इसमें आप कह रहे हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कई आदमी कम्पनी डिपोजिट्स में रखते हैं। उसका क्या होगा? वह इसमें क्यों नहीं है? इससे बहुत ज्यादा व्यापक व्याख्या इन्कम टेक्स कानून में है, सम्पत्ति कर कानून में है और दूसरी जगहों पर है। इसको आपको व्यापक करना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं कि यह दोषपूर्ण है इसको दूर करना पड़ेगा। इसमें आपने कहा है कि शेयर्स, स्टाक्स, डिबेंचर्स एंड अदर सेक्योरिटीज। आगे कहा है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स में दूसरी प्रकार की गाड़ियां भी होती हैं। उनका क्या होगा? इसलिए यह अधूरा है। इसमें मान लीजिए एडवांसेज देते हैं, बैंक डिपोजिट्स हैं कम्पलसरी डिपोजिट्स हैं, कम्पनी डिपोजिट्स हैं जो इसमें नहीं आया है। जो लोग रिटर्नर दाखिल करते हैं वह सब उसमें भरते हैं, दिखाते हैं। दोषपूर्ण विधेयक रखने से काम नहीं चलेगा। फेमिली मैम्बर्स की व्याख्या की गयी है। इसमें आया है जो पति-पत्नी हैं, या जो छोटे बच्चे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इससे क्या कुछ होने वाला है? इसके आखिर में कह दिया कि कोई अन्य व्यक्ति जो उसका नातेदार, चाहे रक्त से या विवाह के आधार पर, हो तथा पूर्णतः उस पर आश्रित हो अथवा न हो। रिश्तेदारी तो बहुत बड़ी होती है। आप जानते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सम्प्रदाय में, हिन्दू समाज में भी रिश्तेदारों की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। इस तरह से नहीं चलता है। कानून में रिश्तेदार हो तो उसकी व्यवस्था कानून में होती है। उसमें दिया हुआ होता है कि रिश्तेदार कौन हैं। कम्पनी कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है। रिश्तेदार कौन हैं, ब्रदर-इन-ला, सिस्टर-इन-ला आदि आदि। इसी प्रकार से पीढ़ी का सवाल आता है, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, सात पीढ़ी, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। विवाह के संबंध में भी बहुत मान्यताएं हैं। शादी में लोग जाते हैं। कानून में इन सब बातों के बारे में सोचना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी अपने सब रिश्तेदार के नाम लिखे? माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम देना चाहेंगे? क्या यह बात व्यावहारिक होगी? क्या वे सब नाम अध्यक्ष को दे सकेंगे? इस प्रकार के दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण विधेयक से काम नहीं चल सकता है। किस-किस को रिश्तेदार मान सकते हैं। इन्कम टेक्स कानून में इसकी व्याख्या दी हुई है। धार्मिक दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टियों से भी यह संभव नहीं है। तर्पण भी हिन्दुओं में आश्विन

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

मास में किया जाता है, किस का किया जाता है, कितनी पीढ़ियों का किया जाता है, पिता, पितामह आदि, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनको विचार करना पड़ेगा । यहां तक भी कहा गया है कि सगोत्री के साथ विवाह नहीं हो सकता है और सगोत्री में भी कितनी पीढ़ियों तक नहीं हो सकता है, इस सब का उल्लेख है । अगर कोई सीमा नहीं रहेगी तो फिर कानून में काम कैसे चलेगा ? हमारा कानून ऐसा होना चाहिए जो व्यावहारिक हो ।

दूसरी बात मैं धारा 3(1) के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि 'प्रत्येक मंत्री तथा प्रत्येक सदस्य, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर संबंधित पीठासीन अधिकारी को विहित प्ररूप में, ऐसे प्रारम्भ के समय पर अपनी तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों की सभी आस्तियों और दायित्वों के विवरण देते हुए घोषणा प्रस्तुत करेगा ।" इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन महीने के भीतर कैसे तारीख निश्चित की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था के लिए तो एक निश्चित तारीख होनी चाहिए । इनकम टैक्स कानून में 31 मार्च तक की आमदनी का विवरण दिया जाता है और वह 30 जून तक दिया जा सकता है । आयकर और इन्कम टैक्स में 31 मार्च तक की सम्पत्ति का विवरण देना होता है । उसमें यह नहीं होता है कि तीन महीने के भीतर दीजिये, 31 मार्च तक देना होता है । उसके बाद 30 जून तक आप अपना रिटर्न दे सकते हैं । इसलिए आपको इसमें भी कोई तिथि निश्चित करनी पड़ेगी । हर साल 31 मार्च तक का रिटर्न मंत्रीगण देते ही हैं । जिनके पास सम्पत्ति है, वे अपनी सम्पत्ति कर का विवरण देते हैं । ऐसी हालत में हमें यह देखना पड़ेगा कि आयकर के संबंध में जो व्यवस्था है और सम्पत्ति कर के संबंध में जो व्यवस्था है, उनके साथ अध्यक्ष को जो विवरण देना होगा, क्या उसमें कोई बाधा तो पैदा नहीं होगी । इसलिए मैंने कहा कि एक तिथि का निश्चित करना बहुत जरूरी है । और नहीं करेंगे तो वह दोषपूर्ण रह जायेगा । इसके अलावा विवरण में यह भी नहीं दिया गया है कि सम्पत्ति और ऐसी चीजें जो हैं जिनमें, जिनके भावों में परिवर्तन होता रहता है उनका मूल्यांकन किस तरह होगा । शुद्धिकरण का इसमें दिया गया है एक प्रावधान लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी नहीं है । इस तरह का विवरण जो है उसका बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप होना चाहिए । इसके साथ ही विवरण जो देंगे उसका वेल्युयेशन का सवाल बहुत बड़ा है । हम कहते हैं कि हमारे पास 20 बीघा जमीन है । अब 20 बीघा जमीन का वेल्युयेशन क्या होगा । किसी के पास दो बीघा जमीन है जो शहर में है या शहर के पास है, उसका वेल्युयेशन क्या होगा । देहात में सिंचाई वाली और बिना सिंचाई वाली जमीन है इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे । यदि सम्पत्ति का ही विवरण देना है तो आपने कुछ नाम गिना दिये क्या वही काफी होगा । साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि उसका मूल्य क्या है । जो अप्रूव्ड वेल्युयेशन करने वाले हैं उनसे उसकी वेल्यु कराकर देनी होगी । इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास पांच जेवरात हैं, इतनी जमीन है, इतने मकान हैं क्या इससे काम चलेगा और चलेगा तो यह कैसे पता चलेगा कि उसका वेल्यू क्या है । इसलिये इन चीजों में बड़ी व्यावहारिकता लानी पड़ेगी तभी यह कारगर हो सकता है अन्यथा मैं समझता हूं कि यह कारगर ही नहीं होगा । दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अगर कोई कानून होता है उससे बड़ी खराबी होती है और उसका लोग नाजायज फायदा उठाते

हैं और वास्तव में सही विवरण की जो आपके मन में भावना है वह इससे पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि उस तरह की चीज आयेगी नहीं। जो भी सम्पत्ति, सेक्युरिटी बोंड और शेयर हैं उनकी वेल्यू क्या होगी क्योंकि रोज रोज मार्केट में इन चीजों की वेल्यू बदलती रहती है। किसी के पास किसी कम्पनी का शेयर हैं, रोज-रोज उस शेयर के भाव बदलते हैं तो उसका क्या होगा। जब तक इसका वेल्यूयेशन नहीं होगा, निर्धारित तिथि नहीं होगी 'उसका मूल्यांकन नहीं होगा तब तक यदि हम उस विवरण को देंगे तो वह त्रुटिपूर्ण होगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये इस विधेयक में और बहुत से प्रावधान करने की जरूरत है। फिर इसका प्रकाशन किया जाय। क्या कोई सदस्य, हमारे आदिवासी भाई यहां बैठे हुए हैं, उनके पास सम्पत्ति नहीं है जमीन नहीं है तो वे क्या प्रकाशित करेंगे, क्या इनके लिये भी यह जरूरी है देना? यह जरूरी है उनके लिये जो सम्पत्तिशाली हैं, जिनके पास जमीन है जिनकी स्त्रियों के पास जेवरात हैं। मैं कहता हूं कि यह जरूर किया जाय, विवरण सही-सही दिया जाय, वास्तविक रूप में दिया जाय और मूल्यांकन के बाद, वेल्यूयेशन के बाद दिया जाय। लेकिन वेल्यूयेशन कैसे होगा, इसकी बड़ी भारी समस्या है। इस बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिये हैं। एक मकान है कनाट प्लेस के पास उसकी वेल्यू क्या होगी। किसी के पास मकान गांव में है उसकी वेल्यू का आधार क्या होगा? किसी के पास बाजार में मकान है, छोटे कस्बे में है, उसका मूल्यांकन कैसे होगा? यह साधारण काम नहीं है। इसको व्यावसायिक रूप देने से पता चलेगा कि वास्तव में उनके पास कैसी सम्पत्ति है, किस तरह की सम्पत्ति है, कितनी सम्पत्ति है और उसमें से किस सम्पत्ति का विवरण देना पड़ेगा। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहां उनकी जमीन एक साथ होती है, मकान एक साथ होता है, सारी आमदनी संयुक्त परिवार में होती है, हम जो राजनैतिक जीवन में हैं जो सांसद और विधायक हैं उसको उस सारी सम्पत्ति का विवरण देना होगा या उसका एक हिस्सा ही देना होगा या केवल उसको अपनी अर्जित सम्पत्ति का विवरण देना होगा जिसे सेल्फ अक्वायर्ड प्रोपर्टी कहते हैं, वंशानुगत जो प्रापर्टी है, जो माता-पिता द्वारा मिली होती है जिसमें दूसरे किसी व्यक्ति का हिस्सा मिला है क्या उसको भी देना पड़ेगा। इन चीजों पर जरा गहराई से सोचना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से जो हमारी बहनों को विवाह में जेवर मिलते हैं, जो हमारी परम्परा में है, उस रूप में उसके पास आये हैं तो उन जेवरों को हम क्या मानेंगे। इन बातों के बारे में सारी बातों को स्पष्ट रखना होगा नहीं तो बड़ी उलझन होगी और इससे जो प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। इससे सभी लोग उलझन में पड़ेंगे, वह क्या रिटर्न देगा क्या विवरण देगा? इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो चीजें आपने रखी हैं मालूम होता है यही बात पहले भी रखी थी, 1986 में आ चुका है और पहले भी एक बिल आया था और उसको भी देखा है जिसका उल्लेख आपने किया है। यह 1979 में रखा गया था और इस तरह का एक बिल था जो 1983 में रखा गया था। उस में देखा कि वह बिल पूर्ण रूप से नहीं था। यही कारण था कि वह स्वीकार्य नहीं हुआ। सदनों ने स्वीकार नहीं किया। मैं इस बिल का केवल इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि सम्पत्ति का विवरण देना है मैं यह कह रहा हूं रखना है तो विचार-पूर्वक बिलकुल कम्प्रेहैंसिव कानून व्यावहारिक दृष्टि से सम्पूर्ण कानून लाया जाए अगर वास्तव में आवश्यक प्रतीत होता हो तो रखा जाए तो उससे कोई उपयोग होगा। यदि इस तरीके से केवल हम यह कानून बना दें दो चार क्लाज रखते हुए और इसी से हम चाहें कि सारा

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

काम हम पूरा कर लेंगे तो मैं समझता हूं हम भ्रमित कर रहे हैं लोगों को इसके द्वारा हमारा जो उद्देश्य है इसकी पूर्ति नहीं होगी। इससे सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता नहीं आ सकती है सार्वजनिक जीवन का स्वच्छ चित्र ही सामने नहीं आ सकता है। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इसका पब्लिकेशन गजट में क्यों हो। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके सामने हम देते हैं अध्यक्ष जो हैं वो उनके सामने रखेंगे। यह भी प्रावधान कर सकते हैं कि कोई सदस्य देखना चाहे तो उसको देख ले लेकिन सारी दुनिया को हम प्रकाशन कर के हम बतलाएं, 40 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं सब तो प्रकाशित नहीं होते हैं कि इन लोगों ने रिटर्न दी है दाखिल की है। यह आवश्यक नहीं है। हम जो सदस्य हैं पहले हम यह देखें कि इनकम टैक्स आय कर देते हैं या नहीं देते हैं हम अपनी रिटर्न देते हैं या नहीं देते हैं। एक बार मुझे मौका मिला था तो हमने विभिन्न पार्टियों के सदस्यों से चर्चा की थी बहुत स लोग भूल गये थे उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं की थी। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दाखिल नहीं करते हैं क्योंकि वो यह समझते हैं उनको आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक जीवन में अगर आय और सम्पत्ति सीमा से कम है तो जिस रूप में सभी नागरिक रिटर्न भरते हैं उसी रूप में दे दें। लेकिन अगर हमारे ऊपर कर नहीं भी लगने वाला हो तो भी हम दे दें कि हमें इतनी आमदनी है हम उतनी ही बता दें उतनी सम्पत्ति बता दें वह विवरण सब नागरिकों के लिए है। जो नागरिक आय कर या सम्पत्ति कर में आते हैं हर साल रिटर्न सबमिट करते हैं और कोई भी कर सकता है। जितने लोग सार्वजनिक जीवन में हैं विधायक हैं सब अपनी आय और सम्पत्ति को रिटर्न दाखिल करें यदि आप-को टैक्स लगना होगा तो लगगा यदि सम्पत्ति है और वह जो छूट की सीमा है उसके अन्दर है तो नहीं लगेगा सीमा के बाहर है तो टैक्स लगेगा। यह एक व्यावहारिक कानून है जो हम लोग पालन कर सकते हैं जिसमें कोई नये विधेयक की जरूरत नहीं है। हम सारी दुनियां को और समाज को कह सकते हैं कि हम आय कर और सम्पत्ति कर रिटर्न देते हैं सरकार के सामने दाखिल करते हैं जिसको देखना है वह देख लें। इसमें क्या दिक्कत है। जो कानून हमारे पास वर्तमान में है उसी से यह हम कर सकते हैं इसके लिए नये कानून की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कई रास्ते ऐसे हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में एसी चीजें हैं। हमारे राष्ट्र की मर्यादा का भी सवाल है। हमारी एक संस्कृति है। हमारे समाज में ऐसे मूल्यवान हमारे मूल्य हैं जिनका कि हम यहां पर पालन करते हैं और समाज में रहने वाले दूसरे प्रकार के लोग भी पालन करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं तो ऐसे लोग दोषी हैं और दोषी लोगों को पूरी कड़ाई के साथ सजा दी जाए। उनका सामाजिक बहिष्कार हो आप केवल कानून बनाने पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? बहुत से कानून बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिये। लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं। मैं जानता हूं इस मन्त्रिमण्डल में ऐसे मन्त्री हैं जो चाय पीने नहीं जाते हैं भोजन करने तो जाते हों या नहीं जाते हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान्यता रखने वाले हैं। यह कानून तो बनाइये लेकिन हम किसी भी पार्टी की तरफ से हों यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो कालेधन वालों, व्यापारियों को सम्मान देते हैं उनके यहां जाते हैं विवाह-शादियों में जाते हैं सम्मान प्रदान करने और हम कह रहे हैं कि हमारा स्वच्छ सार्वजनिक जीवन है। इसके साथ बहुत ही समस्याएं जुड़ी हुई हैं। यह इतना साधारण नहीं है और इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहने की जरूरत है।

.00 P.M.

प्रत्येक आदमी को अपना हृदय टटोलना है, प्रत्येक आदमी को इसके लिए अपना आचरण शुद्ध रखना है, प्रत्येक आदमी को देश का जो संविधान है और विभिन्न कानून है उनका पालन करना सार्वजनिक के लोगों के लिए सबसे मूल्यावान है नहीं तो जैसे लोग कहते हैं कि आप सेल्स टैक्स छोड़ दीजिए हम बिल नहीं देंगे, हमको दे दीजिए। ऐसा क्यों होगा। आज जो कोई भी राजनीतिज्ञ है उसका कर्तव्य है कि जितना दाम लगता है उस पर जितना टैक्स लगता है उतना टैक्स दे। कानून के अनुसार देना उचित है। कानून के अनुसार जो टैक्स लगना चाहिए उसका हमें पालन करना है। जब तक इनका पालन नहीं करेंगे कायदे कानून जो बने हुए हैं, इनका अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे, अपने जीवन में, आचरण में नहीं उतारेंगे, सामाजिक जीवन में व्यवहारिक जीवन में उनका पालन नहीं करेंगे, राजनैतिक जीवन में मान्यताओं को नहीं उतारेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे तब तक यह चीज संभव नहीं है और उन्होंने देश और विदेश के बारे में कहा। तो देश और विदेश के सामने अपनी छवि जैसी रखना चाहते हैं वैसी ही होगी। यदि दिनरात ढोल पीटकर यह कहना चाहेंगे कि हम लोग जितने राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में लोग हैं इस देश में वे स्वच्छ नहीं हैं, सभी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी भूल नहीं होगी और यह व्यक्तिगत और राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल हमारे गणतंत्र की बुनियादी जड़ का है, क्या उसको हम काटने पर लगे हैं। जनतंत्र में कुछ मूल्य हैं, कुछ व्यवस्था है, कानून हैं उसका हम पालन करें और जो नहीं करते हैं हम में से किसी पार्टी के हों क्योंकि जिस वक्त पार्टी की बात करते हैं उस समय सब भूल जाते हैं, केवल किसी व्यक्ति विशेष की या पार्टी के कुछ सदस्यों की या पूरी पार्टी की आलोचना करना शुरू कर देते हैं और जो हमारी स्वयं की पार्टी के लोग हैं जो इसी प्रकार का काम करते हैं तो उनके लिए स्वच्छ बन जाते हैं या स्वच्छ मान लेते हैं, यह भी बड़ी भारी भूल है क्योंकि मूल सिद्धांत को जो मानते हैं आदर्श को मानते हैं तो उस आदर्श के सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो वह एक समान है और यदि वह आदर्श का पालन नहीं करता तो वह उतना ही भ्रष्ट होता है, चाहे राज्यों में किसी पद पर हो या दूसरी जगह पर हो उनको भी इनका पालन करना जरूरी कर्तव्य है। हम इसमें भेद कैसे कर सकते हैं यदि करते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि राजनीतिक प्रेरणा से कोई प्रेरित होगा इसलिए वह काम कर रहा है वह प्रचारित कर रहा है और यदि प्रचारण कर रहा है तो कीचड़ हम अपने आप पर उछाल रहे हैं और उसका आनन्द ले रहे हैं कि हम सब लोग भ्रष्ट हैं और सब भ्रष्ट हो गये हैं। हम कहते हैं कि एक भी आदमी यदि वह बिल्कुल ईमानदार है आपने स्वयं जिक्र भी किया तो क्या सारे सार्वजनिक जीवन के लोगों को भ्रष्ट कह देगा। इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूं कि अनुकूल नहीं है और किसी भी पार्टी के लोग हों चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, हम सब लोगों का कर्तव्य है और हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें, इस प्रकार का कर्तव्य करें, आचरण करें कि हम सब मिलकर एक ऐसी छवि रखें कि राजनीतिक जीवन में जो स्वस्थ गणतंत्र की परम्परा है जो कानून कायदे है जो न्याय मार्ग हमारा है, प्रशासन है उन सबका हम पालन करें। उसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। हम आलोचना करते हैं और बहुत जगह बात ठीक भी है, त्रुटियां बहुत जगहों पर हैं, हमारी योजनाओं के परिपालन में त्रुटियां हैं हमारे बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भी हैं जो भ्रष्टता करते हैं या उसमें लीन होते हैं, कुछ लोग जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं वे भी उसमें उलझ जाते हैं, ऐसी कुछ बातें हैं लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में

(श्री रामेश्वर ठाकुर)

सार्वजनिक जीवन के लोग या बहुत बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग या जो कार्यकर्ता हैं जो सार्वजनिक काम में लगे हुए हैं जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं ये सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या हमारी सराहना नहीं होनी चाहिए। हम सबको भ्रष्ट कहते चल जायें, सारे देश को भ्रष्ट कह दें सारे विश्व के सामने हम दोषी हो गये, हम हिंदुस्तान के जितने लोग हैं वे गणतंत्र की परम्परा को कानून की परम्परा को नहीं मानते, वहां आचरण-हीनता हो गयी है और सबके सब भ्रष्ट हो गये हैं, हम समझते हैं कि यह कहना हमारे लिए उचित नहीं है। उचित नहीं है बड़ा अनुचित है। इससे हम अपना नुक्सान कर रहे हैं, अपने देश का नुक्सान कर रहे हैं, समाज का नुक्सान कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के सामने हम एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसलिए नितांत आवश्यक है कि जब भी हम एक दूसरे की आलोचना करें, किसी विषय पर यदि हम बातचीत करें तो हम रिटायर्ड होकर या बिल्कुल निर्विकार भाव से देखें कि मूल्यों के आधार पर तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर हम उसका विवेचन कर रहे हैं? और उसमें जो त्रुटि पाई जाती है, उसके निराकरण की व्यवस्था करें और कोई जान-बूझ कर इसको तोड़ते हैं, तो उनके प्रति हमारा कोई भी आदर नहीं होना चाहिए। उनके प्रति हमारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं होना चाहिए उसके लिए जो कड़ी से कड़ी व्यवस्था हमारे कानून के अन्तर्गत है, उसको अमल में लाना ही चाहिए।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब कि यह विचार सराहनीय है, लेकिन चूंकि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिन तथ्यों का मैंने कुछ उल्लेख किया और भी कई इसमें त्रुटियां दिखाई देती हैं। तो इन त्रुटियों के कारण मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस रूप में पारित करने योग्य नहीं है। इसलिए इसका समर्थन करना मेरे लिये इसकी भावना का आदर करते हुए भी उचित नहीं लगता है और मैं इसका समर्थन नहीं करके, इसका विरोध करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाए।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I want to congratulate Mr. Satya Prakash Malaviya for moving this Bill—the Declaration and Publication of Assets and Liabilities of Ministers and Members of Parliament Bill, 1986. It is a very progressive Bill. It is a very good thing. It is a very happy thing that a freedom fighter like Mr. Malaviya has moved this Bill in the very presence of Mr. Chintamani Panigrahi, the Minister, who is dealing with these things and who is also a freedom fighter. There are a number of freedom fighters who have laid down their lives for the sake of the country. In my childhood, in early 1950s, I had seen that the politicians in general and the people's representatives in particular used to enjoy much respect and confidence of the people. I think nowadays that is quite absent. It has been reduced much to the least extent. There are a few reasons which are well known to us. In those days, most of the politicians were freedom fighters. They had sacrificed their personal benefits. They had sacrificed their properties. They had sacrificed even their lives for the sake of the people. That is why they enjoyed the respect and the confidence of the people in those days. Nowadays, people have begun to disbelieve the politicians. They are not only disbelieving them, but they have started to dishonour them because they are suspecting the sincerity and integrity of the politicians. This Bill is meant only for the politicians. But these tendencies have developed in all walks of life in the country. It is not within our hands. That is why Mr. Malaviya has

preferred to move this Bill for the Members of Parliament and the Ministers. It is a very good thing.

Sir, the people have begun to disbelieve and dishonoured the politicians. There are a few simple reasons for it. The first thing is that the politicians and their representatives are not prepared to forego any comforts on their own for the sake of the people of the country. The second reason is that the economic status of the people and the politicians who have come into power started rising in a disproportionate way. There is no proportion between the original property of a public representative and the property acquired by him after coming into power. Sir, we have seen that a number of politicians who have enjoyed power either in the Centre or at the State level have acquired large properties, either immovable or movable. This is taken by the people in different ways. They were poor when they were not in power. But they start becoming rich people after coming into power. But at the same time when a rich man comes to power, he becomes the richest man. There can be no proportion between his original property and the property acquired. The acquisition of property by a rich man after coming into power is more in comparison to the property acquired by a poor man after coming into power. Sir, the politicians, the men in power are in some cases directly involved in economic offences and in acquiring the properties in an indirect way. Some politicians and some people in power acquire movable properties. And if it is more than their capacity, they start acquiring immovable properties. And when they see that it is over their capacity, they start acquiring benami properties and black money. Whenever they find it difficult to keep them safely in the country, they resort to open accounts in foreign banks and they go for Swiss banks and other foreign banks to keep their money there. In the case of properties also, they resort to a number of evil methods. While acquiring the properties and preserving them, they resort to a number of evil practices. For instance, Sir, when the land reforms legislation was made in the country and when it was started to be enforced, the landlords have tried to save their land as much as possible. They have started to transfer the land in a number of benami ways. They have transferred the land in the name of their brothers, in the name of their relatives, in the name of their children and even still-born children, and in some cases they have transferred the lands in the name of some pet dogs. The lands were thus transferred only to escape from the implementation of the land-ceiling laws. In the same way, accounts are also being opened in benami names. So, this sort of things make the people disbelieve and disrespect the politicians. That is why, Sir, a good thing has happened in my State, that is, in Andhra Pradesh. The Assembly has passed a Resolution for declaration of assets and liabilities by the Members of the Assembly and the Ministers to the Speaker which they have already done. I am not satisfied with that. It is not at all sufficient. They should make it public. Simply filing with the Speaker will not serve the purpose. It should be made to the public. And it should apply to all States. It should apply to the Parliament also and to the entire country so that people repose their confidence in them. We must declare our properties at the time of entering into the House either in the capacity of a Minister or a Member. We should also declare our assets and liabilities at the time of relinquishing the power or on the expiry of the term.

Sir, in Andhra Pradesh one more good thing has happened. The Chief Minister, Mr. N. T Rama Rao, has ordered for an inquiry into the properties acquired by the men in power right from 1947. I do not know whether it will smoothly go on or when it

[Shri Puttapaga Radhakrishna]

will be concluded and when we will be able to know the result. But it is a good sign. This sort of sentiment should develop in the country. Then only people can repose their confidence in us and people will again start to think of respecting the politicians.

With these remarks, Sir, I would like to support the Motion moved by Shri Satya Prakash Malaviya. Thank you, Sir.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having permitted me to speak on this Bill.

At the very outset, I would like to congratulate the hon. Member, Shri Satya Prakash Malaviyaji for introducing such a Bill in time. Perhaps, this is the most appropriate time when such a Bill should be introduced. I also thank the lone speaker from the other side...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): There are some more.

SHRI M. A. BABY... who has already spoken for not finding any intentions of destabilisation on the part of the mover of the Bill. That needs to be thanked and congratulated.

Sir, all of us know that today in our country politicians are looked upon with suspicion as has been already mentioned by many others including the previous speakers. It was perhaps Bernard Shaw who spoke of politicians as those who are taking to politics as a last resort and the adjective with which he mentioned them, I do not want to pronounce here. I wonder whether this would be parliamentary or not.

AN HON. MEMBER: It was Samuel Johnson who said it.

SHRI M. A. BABY: I stand corrected. Now, if someone is to update that sentence, I do not know what one would say, whether this is the last resort of a thief or robber or fraud. I totally agree with the earlier speaker from Treasury Benches who said that all politicians are not corrupt. There is no doubt about that. But the point is that today in this House a Member has been forced to bring forth such a Bill with the good intention that unless some such legislation is brought forward, the suspicion in the mind of the general public cannot be cleared.

Sir, we remember that in connection with the Centenary celebrations of the Indian National Congress our Hon. Prime Minister made a speech in Bombay where he lashed out at corruption, which is being practised by members of his party also. And our hon. Prime Minister said that the fence has started eating up the crop. I do not know whether he was speaking that with an autobiographical touch. The same Prime Minister has been forced to make a statement after a couple of months saying: myself or my family members never accepted any bribe in connection with the Bofors' deal. This is a sad state of affairs for a large and great country like ours. The very fact that the Prime Minister has been forced to make such a statement proves that the cloud of suspicion that is hovering over the head of our country is not simple. He would not have made that statement on the spur of the moment. I consider that statement is a very well-considered and thought-out statement. This is the situation that exists in our country today. We know that only two outstanding Indians could so far get Nobel Prize. One was Rabindra Nath Tagore, who got it for literature, and the other was C. V. Raman, who got it for physics. Shri Hargovind Khorana also got a Nobel prize; though he cannot be termed as Indian, but a very widely-circulated term can be used—a non-resident Indian. Now, even more people, it

seems, have got the Noble prize, as Bofors is a subsidiary of Nobel company. And it is very surprising that such a thing is still being investigated as to who are all those who got the Nobel prize, and not only simple Nobel prize, but Nobel Peace prize—because Nobel distributed this prize in pieces, not in toto. Such is the situation that higher-ups have been involved in the most heinous offences of corruption.

Now, I would like to make some references to the provisions in the Bill, especially in the backdrop of what I have said so far. Under the definition of Minister it is stated in clause (d), Minister means a member of the Council of Ministers of the Union. I do not know whether that includes the Prime Minister also. Secondly, I would like to get a clarification regarding family member which in relation to a Minister or Members means his or her family member. I want to know whether the family member includes not only the brothers or the sisters, but if somebody is having a relation outside the country, and if that can also be included within this definition. Another clarification I want is whether going by the Constitutional provisions, this can be made applicable to States also. In this Bill there is no provision. I do not know why such a provision has not been incorporated here and I would like a clarification from the hon. Mover of the Bill. Thirdly, it cannot be said disproportionate assets have been amassed only by those who get elected to legislatures or Parliament or those who become Ministers. There are others in the sphere of politics who are not Members of Parliament or Members of Legislative Assembly or Ministers. District office-bearers of various political parties, State level office-bearers of various political parties and national level leaders of various political parties are having enormous power and influence and have opportunities to indulge in corruption. So, if we confine the scope of the Bill only to those who are Members of Parliament and members of Council of Ministers, we are reducing the scope of application of this Bill. I wonder why at least district-level office bearers of various political parties represented either in State Assemblies or Parliament are not included within the jurisdiction of this Bill. This is one question I would like to get clarified by the Mover of the Bill.

I do not want to take much time of the House in enunciating the relevance of such a Bill because everybody knows *that more and more charges of* corruption are coming up these days. Only one or two days ago, we came across a joint statement by 28 eminent persons of our country, in which this question of corruption at high places occupied a prominent position. We have the experience of latest developments and recent events within our country and outside, the happenings which led to the resignation of Richard Nixon of the United States of America, the resignation of Mr. Tanaka and other top-most leaders who had to resign because of corruption charges.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Tanaka was prosecuted.

SHRI M. A. BABY: We know, those who are supposed to be the topmost leaders of their respective countries are also easily susceptible to corruption. Now corruption has become not only systematic but it has also become a part of the system. While fully supporting the Bill, I would like to strike a note of caution that we should not have any illusion. We should not have any illusion that through such legislations, corruption can be rooted out in our country. I firmly believe that corruption cannot be rooted out in our country where exploitation of man by man is being allowed. This is my firm belief.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): You must have seen that there is corruption in the Soviet Union also.

SHRI M. A. BABY: Not only in the Soviet Union but even in the People's Republic of China, some corruption cases had been found. But I will point out the basic difference between the two. The basic difference is that in our country corruption is a part of the system and it is the way through which monopoly capital exploits the surplus value of labour. This is the most cruelest corruption that is practised in our society. I do not want to elaborate on this. Time will not permit me to do so. I would only like to point out that in countries like the Soviet Union or China, the exploitative base of the society has been corrected. Exploitation is not continuing there. There is no material basis for corruption to be practised. Still, the burden of the past social system will continue even after the basic restructuring of the society. That is why some people are still indulging in corruption. But the question is, how is it being faced by the Government there. When corruption charges are made, they will not say that somebody is trying to destabilise the Government. They will not say.

SHRI DEBA PRASAD RAY (West Bengal): Don't you think that in communist countries, corruption is generated because of the State capitalism introduced by the ruling parties of those countries?

SHRI M. A. BABY: You may get more information regarding that from the hon. Minister of State for Parliamentary Affairs whose daughter happens to be studying in a socialist country and who has been informing him about the system which exists in that country. *Interruptions*)

SHRI DEBA PRASAD RAY: Since you are quite sound in theory, I would like to know from you whether in the socialist countries—according to your terminology—corruption is due to the State capitalism introduced by the ruling parties there.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): क्या ऐसा कोई उदाहरण देंगे कि सोशलिस्ट कंटरी के किसी नेता का किसी दूसरे देश में पैसा जमा है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): आप बीच में क्यों आ गये ? आप बैठ जाइये ।

SHRI M. A. BABY: Though I do not deserve the compliment from my hon. friend, Mr. Ray, that I am sound in theory—it is a misplaced compliment—based on my limited knowledge, I can tell the hon. Member that it is not State capitalism which is being practised in Soviet Union, China, GDR and other socialist countries. State capitalism is being followed in countries like India where you have a public sector. State capitalism and private capitalism co-exist in countries like India. Soviet Union and China are all socialist countries. Corruption emanates there in stray cases because, as I have already mentioned, the burden of the previous social system continues, because for centuries we are having various type of exploitative systems like slavery, etc. Once in history the pre-historic period or primitive communist period ends, exploitation starts. During capitalism, feudalism, exploitation in one form or the other exists. It is there in the blood of the human being. (*Interruptions*) There can be certain aberration within the socialist system. If socialist system is followed on scientific lines, there cannot be any corruption. In our case capitalism is followed and that is why there is corruption.

Sir, without taking much time on this side issue, I want to reiterate that so long as this exploitative system continues, so long as the right to surplus

value by capitalists is preserved in the name of right to property, the basic right of corruption continues. The value system itself will sanction people who are placed in high offices to practise corruption. This is my basic formulation. I do not want to relate the experiences in my own State where we have seen so many politicians who ended politics without any asset, without a house of his own. On the other hand, we have seen someone who after becoming Home Minister or after becoming Chief Minister for five or six years, emerged is owner of three houses. I do not want to take his name. All the people in Kerala know that a particular politician who happened to occupy the position of Home Minister and Chief Minister now has three houses in three metropolitan cities of Kerala and the benami wealth that he is having comes to over Rs. 50 lakhs. This is the official estimate. Now so many enquiries are being conducted to unearth the corrupt practices of the former Ministers in Kerala. So, in this situation, there should be a legislation to see that the assets and liabilities of politicians of Members of Parliament, of Ministers, right from Prime Minister, are checked, and such legislation should be strictly followed. Just by passing legislations this problem cannot be solved because you will have some other method to circumvent such legislations and even legislations can be changed with retrospective effect. We have so many instances. A very important aspect where corruption is practised in our country is in election. To get elected you follow unfair practices and after getting elected and becoming a Member of Parliament or Minister you can continue to indulge in unfair practices. Even we have an experience where a case was launched in relation to the election of a former Prime Minister, where Allahabad High Court, according to the then provisions of the Peoples Representation Act found that unlawful practices were followed by that particular Prime Minister to get elected. Then, what was the response? The Peoples Representation Act was amended with retrospective effect to include that period when she actually committed that corruption. This is the kind of experience that we have in our country. So, I do not have much optimistic hope that even after you bring about a meaningful legislation, there would be no efforts to circumvent it. It will not be properly implemented and whatever limited legislation we have today will be violated and those who are occupying high positions can come out even with constitutional amendments to justify the corrupt practices that they have indulged in. This is the experience in our country. This is why people in our country look upon politicians as those who will do anything to remain in power, as those who will stoop to any level to amass money. Unless we fight against these maladies, the credibility of the politicians, the respect for politicians will go down. Fortunately the Minister who has been listening to the discussion so far belongs to a generation which fought for Independence. Except a few of us who belong to the younger generation, most of the others who are present here in this august House belong to the generation which fought for Independence. The Minister of State for Parliamentary Affairs also belongs to the generation which fought for Independence. But today the whole thing has come to such a pass that even those who hold high the standards of honesty in politics are also looked with suspicion. Why is this happening? Because those who speak about honesty in public life, those who speak about cleansing political life and even those who carried the epithet "Mr. Clean"—which I would like to rather amend as "erstwhile Mr. Clean"—do not sack the corrupt but sack those who fought against corruption at high places. If such is the situation and if such practices are followed by powers that be, the suspicion of people against politicians will continue. Without taking any more of your time, I once again congratulate the hon. Member, Shri

[Shri M. A. Baby]

Satya Prakash Malaviya, for bringing this Bill.

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल मालवीय जी लाये हैं वह बिल देखने से बहुत ठीक है लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वह पवित्र नहीं है। अगर मालवीय जी 1977 में यह बिल लाकर दिखाते तो हम इनका अभिनन्दन करते। चैरिटी बिगेन्स फ्राम होम, दूसरे के लड़के को बलिदान में देने से कोई फायदा नहीं है। चैरिटी पहले अपने घर से शुरू करें। दूसरों को कहने से पहले खुद ठीक बने। अगर आप इसको हरियाणा में लायें, वहां आप श्री देवीलाल को बोलिये कि वे यह बिल लायें, हेगड़े साहब से कहें कि वे इस बिल को लायें। यह बात दूसरे से कहने से पहले अपने घर में करके दिखानी चाहिए, तभी उसको कहते हैं। हमें अगर पता चलता कि कांग्रेस पार्टी में कोई खराब आदमी है तो हम देखते हैं। आपके यहां वैंकटलिंगम कमीशन की रिपोर्ट है थोड़ा उसको पढ़ लीजिये। उससे आपको पता चलेगा कि कहां क्या चीज है। इस बिल को लाने से क्या फायदा। अगर कमीशन की रिपोर्ट ही ठीक तरह से कर लेते तो पता चल जाता कि आप कुछ करना चाहते हैं। इसलिये इस बिल को लाने से कोई करप्शन दूर नहीं हो सकता। करप्शन दूर करना चाहते हैं तो उसे अपने घर से दूर करो। चैरिटी अपने घर से शुरू होती है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। केवल दूसरों को कहना है कि तुम यह करो, वह करो। इससे कोई फायदा नहीं होगा। खुद अभी श्री हेगड़े ने एक इन्टरव्यू में कहा है कि मेरी इज्जत गिर गई है, मेरी गवर्नमेंट की इज्जत गिर गई है, हमारे यहां बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारे यहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खुद हेगड़े साहब की गवर्नमेंट पर हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है कि उन्होंने गलत काम किया है, अल्कोहल कान्ट्रेक्ट देने के बारे में कुछ इधर उधर किया है।. . . (**व्यवधान**) ...इससे आपको तकलीफ हो रही है (**व्यवधान**)...अंतुले साहब ने खुद पैसा लिया नहीं ट्रस्ट में जमा करवाया था लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किये तो हम ने उनको निकाल दिया श्री अंतुले को। श्री निलांगेकर का क्या हुआ था। उनका कोई कसूर नहीं था उन्होंने कोई पैसा नहीं खाया था उनकी लड़की की मौत के बारे में डाऊट किया गया था इसलिए उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। क्या आपने हेगड़े साहब को कहा कि वे इस्तीफा दे दें? उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किये थे। यह सब बताने से पहले आप अपने यहां शुरू कर दीजिये तब पता चलेगा कि कौन कहां है। यह बिल पहले यहां नहीं लाओ जितनी स्टेट्स में आपोजीशन पार्टीज पावर में हैं वहां यह बिल पहले पास करवाइये फिर यहां आइये तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज क्या है। जब खुद पावर में आते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। तब तो बार-बार भ्रष्टाचार करते हैं। वह तो हम ने 1977–1980 तक देख लिया। 28 महीनों में 28 सौ भ्रष्टाचार किये थे। उस वक्त किसी को यह नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त दो चार निकले थे वैंकटलिंगम कमीशन बैठा था, टेलीकम्युनिकेशन मशीनरी की खरीद में भी कमीशन लिया गया था। यह सब उस वक्त हुआ था 1977 से 1979 के बीच में। आपने तो देश का सोना भी बेच दिया था। आपने 15 टन सोना बेचने में भी कमीशन खाया था। तो पहले आप अपना शुद्धिकरण करिये, सुधारिये तब पता चलेगा और, तब आप हमें कह सकते हैं। पहले जितनी आपोजीशन पार्टियां स्टेट्स में जहां जहां पावर में हैं अपने यहां कर के आएं तब हम करेंगे लेकिन दिखावे के लिए यहां लोगों को कहने के लिए कि हमने बिल पेश किया और कांग्रेस वालों ने विरोध किया। हम विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध दिखावे का करते हैं, जो आप दिखावा कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं। यह दुनियां को बताने के लिए आप कर रहे हैं। इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। पहले आप हरियाणा में लाते, श्री हेगड़े सरकार के यहां लाते, बंगाल में लाते, जहां जहां आपके दलों की

सरकारें, हैं वहां लाते, श्री रामाराव की सरकार के यहां लाते । उनके दामाद के खिलाफ भी हैं उनके लड़के के सामने भी है ... (व्यवधान)

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): He is taking somebody's name. ... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Unfortunately, your colleague provoked him.

PROF. C. LAKSHMANNA: Even if somebody provokes him, he should not say it ... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Earlier he said Devi Lal and Hegde, and everything has come. Why not Rama Rao? After all, it is only... (*Interruptions*)... Prof. Lakshmanna, as Chief Ministers their actions are being discussed.

PROF. C. LAKSHMANNA: Then let him talk about the Chief Minister. Let him not talk about Rama Rao.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : अरे हां उस कमेटी जो चीफ मिनिस्टर बना रहे है (व्यवधान) फिर आप आब्जेक्ट करते हो । वह पंचायत वाले कहता है मेरे पास ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप नाम छोड़ दीजिए ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : नाम कहां लिया है । खुद असेम्बली में कमेटी बनाने को कहा है । वह कमेटी बना रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट कमेटी को जो पावर हमने अपने यहां दी है वह नहीं देते हैं । जो भारत सरकार ने नयी कमेटी बनाई है प्रोब के लिए उनको जितनी पावर है उतनी हेगड़े साहब या रामाराव साहब ने नहीं दी है कमेटी को पावर (व्यवधान)

PROF. C. LAKSHMANNA: Which committee did you study to say this? You please name one committee where powers were not given... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): That his opinion... (*Interruptions*)... Your Member is speaking next.

PROF. C. LAKSHMANNA: It is not a matter of opinion, Sir. ... (*Interruptions*) ...

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Those live in glashouses should not throw stones at others. कांच के घर में रहने वाले हमारे ऊपर पत्थर फैंकने की कोशिश मत करिये नहीं तो आपका सिर फूट जायेगा हमारा नहीं फूटेगा । आप सभी लोग कांच के घर में रहते हैं । आपके वहां जितना भ्रष्टाचार चलता है जितना आन्ध्र प्रदेश में चलता है उतना कहीं नहीं चलता । हमको बताया गया कि वहां कोई काम पैसा लिये बिना नहीं होता । खुद आपके एक एम० पी० कहते है कि हमारे वहां पैसा खिलाए बिना काम नहीं होगा । अब आप लोग हमें कहते हैं । हमारे गुजरात में बताइये, एक केस भी हमारे गुजरात में आपको ऐसा नहीं मिलेगा ।

PROF. C. LAKSHMANNA: Don't come out with cock-and-bull stories. If you have got some specific instances, you mention them.

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: What cock-and-bull stories? Everyone knows... (*Interruptions*)...

PROF. C. LAKSHMANNA: Which M.P.? Why drag in an M.P.?

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: I know.

PROF. C. LAKSHMANNA: Which M.P. did you talk about?

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Come out with facts and figures.

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Ask your own heart.

PROF. C. LAKSHMANNA: Don't worry about my heart or your heart. Who is that M.P.? It is not proper. (*Interruptions*)

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Everyone knows in Andhra Pradesh. और वह पंचायत वालों ने स्टेटमेंट दिया है। पैसा किसमें खाया जाता है? बेचारे की क्राप खत्म हो गयी उसकी वजह से (**व्यवधान**) आप सुनिए तो सही। बाढ़ की वजह से क्राप खत्म हो गयी उसमें गवर्नमेंट कम्पेनसेशन देती है, तो, कम्पेनसेशन में भी कमीशन? गांव का एक सरपंच कहता है कम्पेनसेशन में कमीशन। वह बोलता है गांव वालों को कि 20-25 लाख रुपये देते हैं तो हम 5 लाख रुपये ले जाते हैं कमीशन में। वे भी रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री के। यह सब होते हुए भी आप ये बिल ले आते हैं। मेहरबानी करके एक काम करिए कि पहले आप जितने विरोधी दलों के शासन जहां जहां हैं वहां जाइये और यह बिल वहां पास करवाइये फिर यहां आइए और देखिए क्या रिस्पांस मिलता है। तो चैरिटी पहले वहां से शुरू कीजिए। यह जब आप करेंगे तब हमें विश्वास होगा कि आप यह बिल कुछ सही उद्देश्य के लिए लाये हैं वरना दिखावे के लिए आए हैं और बाहर कहने के लिए आए हैं और इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई काम नहीं बनेगा। तो आप पहले वहां जाकर आइए तब फिर पास आइए फिर हम देखेंगे। जब तक आप अपने शासन में इसी तरह का बिल नहीं लाएंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : हमारा शासन आने वाला है।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : तुम्हारा आने वाला नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : हम लोगों की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारा शासन आएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : उधर क्यों बोलते हैं इधर बोलिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : उधर देखने की जरूरत नहीं है इधर ही देखिए। वहां कोई बैठा नहीं हुआ है।

श्री राम अवधेश सिंह : ये बूढ़े आदमी हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी भविष्यवाणी सही होगी।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : उधर मत देखो इधर देखो मैं भी प्रैस वाला हूं। उधर मत देखो।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): Sir, there is a saying that if wishes were horses, beggars would ride.

कुमारी सरोज खापर्डे : हिन्दुस्तान की जनता ने जब शासन का मौका दिया तब नहीं चला पाए . . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : हमारी गलती से उधर गया।

कुमारी सरोज खापर्डे : आप अपनी गलती से मरे हो हमारी गलती से नहीं।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : विरोधी दल के एक नेता को एक करोड़ का पर्स देने वाले कुछ लोग हैं। उसमें किसने बम्बई में पैसा दिया है। चार कम्पनीज को तो मैं जानता हूं जिन्होंने 40 लाख रुपए दिए हैं। सभी भ्रष्टाचार में घिरी हुई कम्पनीज हैं, सभी टैक्स इवेजन करने वाली कम्पनीज हैं जिनका सामना कानूनी कार्यवाहियों से चल रहा है। ऐसे लोग एक करोड़ रुपया विरोधी दल के नेताओं को देंगे। ये लेंगे और फिर कहेंगे कि हमको जनता ने दिया।

ये लोग हमको भ्रष्टाचारी साबित करने की बात करते हैं और ये ही लोग बिल लाते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने का । क्या बात करते हैं। पहले अपना घर तो ठीक करिए । फिर हमारे पास आइये । यह तो तमाशा कर रखा है । मैं जब बिल पढ़ रहा था तो मुझे लगा ... (व्यवधान) अगर ये लाते बिल तो मैं समझता, मैडम लाती तो भी मैं समझता क्योंकि बिल्कुल साफ दिल है । हम लोग तो पूरे घुसे हुए लोग हैं। ये बिल लाएंगे तो तुम्हारा भरोसा कौन करेगा, कोई नहीं करेगा क्योंकि आपने वे ही काम किये हैं जिनके बारे में हम को गाली दे रहे हो।

श्री राम अवधेश सिंह : एक ही बात बार बार कह रहे हैं, कोई नई बात कहिए ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह नयी बात हैं यह पुरानी नहीं है।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : कभी कभी पुरानी बात याद दिला दिया कीजिए ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : कहो तो पूरी (व्यवधान) रिपोर्ट का हवाला दे दूं । सुनना है ।

श्री राम अवधेश सिंह : जितना आपके दिमाग में है सब दे दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन-तप्पा) : देने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं । देने के लिए मौका तो देना । सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह बात तो ऐसी है कि बिल्ली चूहा खाकर हज को चली जाये । ऐसा कहना ... (व्यवधान) तो आप पहले अपना घर साफ कीजिए, तभी बात आगे चलेगी । जो लोग दुनिया को उपदेश देना चाहते हैं, वह खुद गांधी जी, गांधी जी क्यों करें । उन्होंने त्याग करके दुनिया को दिखाया, आप तो मोह में रहना चाहते हैं, पैसा भी रखना चाहते हो और कहते हो कि तुम पैसा मत रखो।

अभी मैं दो-तीन दिन पहले एक पुराने वित्त मंत्री का भाषण पढ़ रहा था कि सम्पत्ति जो है, यह जो पाप हो रहे हैं, उसका मूल सम्पत्ति है और सम्पत्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तब यह सब करप्शन खत्म हो जाएगी—यह इनका बयान था । अब खुद जो सम्पत्ति का त्याग करते हैं, अगर दुनिया को कहते हैं कि सम्पत्ति बुरी चीज है, सम्पत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए ... (व्यवधान) मट्टू साहब सुनिए । उन्होंने गलत काम करके जब टेनेन्सी एक्ट हुआ, तो जमीन का ट्रस्ट बना दिया और जमीन का ट्रस्ट बना करके बोले कि हमें इसमें अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, वह बनाना है, ऐसा करके जमीन टेनेन्सी एक्ट से बचा ली । पर न तो स्कूल बना, न अस्पताल बना, कुछ नहीं बना, उनको खाने के लिए मिला पैसा । एक लाख पेड़ थे, उसमें, सरकार में चार लाख लिखवाये और 45 लाख रुपए ले लिए ।

वही लोग जब हमें उपदेश देने को आते हैं, तब हमें जरा तकलीफ हो जाती है। तुम हमें उपदेश देने वाले कौन हो, खुद भ्रष्टाचारी हो और हमें आकर कहते हो कि भ्रष्टाचार बुरा है, खत्म करो। हमारे विरुद्ध हो, तो लाओ एक दाग, देखिए कि हम तो कल रेजिगनशन दे दें । बताओ आकर के आपके पास अगर हो तो, लेकिन जिसने गलत तरीके से, गलत रास्ते से जमीन रखी है, वही आदमी आज क्लीन बन कर के हमें कहे कि भ्रष्टाचार खत्म करो । तुम क्या करोगे, तुम भ्रष्टाचार करके बैठे हो। दुनिया को, भ्रष्टाचार करके बैठने वाला आदमी जब कहेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो यह बात दुनिया कभी नहीं मानेगी आपको क्योंकि पहले आप स्वयं, आप खुद स्वच्छ बनिये, खुद उसमें से निकल जाएं, तभी यह काम होगा ।

तो मालवीय जी, पहले आप एक काम करिए कि आप यह बिल विदड्रा

[श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल]

कर लीजिए । सभी स्टेट्स वालों को भेजिए जहां विरोधी दल की सरकारें हैं उनको कहिए कि आप पास करके हमें बताइए और फिर बाद में इधर आना, तब ठीक रहेगा ।

धन्यवाद ।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support wholeheartedly the Bill which has been enunciated by our senior parliamentarian and freedom-fighter, Shri Satya Prakash Malaviya.

It has been correctly said by our hon. friend from the Treasury Benches that people who are living in a glass house should not throw stones at others. It is quite correct. As it stands today, instead of Brahma, Vishnu and Maheshwara—the trinity Gods are politicians businessmen and the bureaucrats. This combination is a lethal combination. This is what is happening in our country. These three forces have joined together and that is why the entire system is in a crisis. The political system of our country is in a crisis. The economic system of our country is in a crisis. Why do you say that Congress should not answer to these points? It has to answer simply because it is a most responsible organisation, it was the anti-imperialist movement. The Congress and Indian people fought against the Britishers. It was a party of Mahatma Gandhi. That is why we say that Congress has got a greater responsibility to answer to these points. I want to ask you a question: have you followed the teaching of Mahatma Gandhi? You should have solved the crisis. But you did not do it because you thought that through power you could build up a Welfare State, a Socialist State, with justice to all. But, were you able to do it? You have to search into your own heart to know why this system has been ruined. Who has sown the seeds of black money which have grown into trees today? if you sow the seed you have to eat the fruit. Now you have to eat the fruits of black money sown by you. That fruit is coming to you in various shapes today and you are running away.

What is the Bearer Bond Scheme? Does it show the will of the nation to smash black money or to legalise black money into white money? What was your policy? You wanted to shield and you have shielded the big business. What is the share of the big business in this country? It is not even five per cent in the industrial establishments of their own. But they control the entire assets of the country. What are your plans? Why are you massing up money from the villagers and from farmers and every common man? Is it to finally pass it on to the capitalist class which is not satisfied with the money and which is joining hands with international, multinational business class? The total hold of the multinationals is forty per cent of the corporate sector. In this type of economy, the politician comes into play because big money is involved and the bureaucrat joins hands. That is why today we are facing the challenge of the Head of the Nobel Industries. He says, "We have given to Indians; we do not care. If it is a bribe, I am sorry for it." That is the careless attitude of that gentleman. It is up to the Indian Government to investigate. This is the challenge he has thrown. Because you are ruling the country you are responsible for it. It is your business to come out with what are the facts, who are the persons, who are the Indians and who are the foreigners who have taken money. After building up a system, after going such a long way on the path of the so-called socialism, it is very difficult to turn back. Our friend on the other side said good of capitalism. You say 'public sector'. You give it the name 'public'. What is public in it? The workers who work day and night have nothing to do with the industry or the product or the sale or the profit. The public have nothing to do with it. How is it public?

Technical efficiency, self-reliance and technological know-how are not built up in the country. Mahatma Gandhi, with one 'charka' was able to throw out the big

shots. But with all the scientific advances which the country has made—America says that Indian scientists are in a position to make atom bomb—you are not able to achieve it. Our capacities are not utilised for the benefit of the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Reddy, you can continue on the next day.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Constitution (Fifty-eighth Amendment) Bill, 1987.

II. The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 1987.

ADDITIONAL SECRETARY: Sir, I beg to report to the House the following messages from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

I

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Fifty-eighth Amendment) Bill, 1987 which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th August, 1987, in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution of India."

II

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Representation of the People (Second Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th August 1987."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The House stands adjourned till 11 o'clock on Monday, the 31st, August 1987.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 31st August, 1987.